[2019] 13 एस. सी. आर. 49

भारत संघ और ए. एन. आर.

वी.

तारसेम सिंह और हमारा।

(2019 की सिविल अपील संख्या 7064)

सितंबर 19,2019

[आर. एफ. नरीमन और सूर्या कान्ट, जे. जे.]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 [राष्ट्रीय राजमार्ग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा संशोधित]: एस. 3 ए, 3 जी (7) और 3 जे-अधिनियम के तहत अधिग्रहण-समाधान का पुरस्कार-चाहे अनुमत हो-आयोजित किया गयाः सोलेटियम पार्ट एंड पार्सल है।

भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए देय मुआवजे की राशि-1956 अधिनियम में देरी को कम करने और राजमार्ग के त्वरित कार्यान्वयन के उद्देश्य से 1997 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था।

परियोजनाएँ संशोधन अधिनियम, 1997 को कला द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। 31 - संशोधन के उद्देश्य के रूप में संविधान के सी का कला में निहित निदेशक सिद्धांतों के साथ कोई प्रत्यक्ष और तर्कसंगत संबंध नहीं है। 39 (ख) संविधान का-भले ही संशोधन अधिनियम को कला के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अधिनियम माना जाता है। 39 (ख), संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मुआवजे से मुआवजे और ब्याज को हटाकर पूरा नहीं किया जाता है-इस प्रकार बिना मुआवजे और ब्याज के मुआवजे का अनुदान, जो संशोधन अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, अनुच्छेद द्वारा संरक्षित नहीं होगा। 31 - ग और इसलिए, कला का कोई भी उल्लंघन। 14 न्यायालय द्वारा जाँच की जा सकती है-भूमि मालिकों के विभिन्न समूहों के बीच किए गए वर्गीकरण का संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए संशोधन अधिनियम कला के खिलाफ है। 14 संविधान का-इसलिए, भूमि के प्रावधान

धारा 23 (1 ए) और (2) में निहित ऋण और ब्याज और धारा 28 के प्रावधान के संदर्भ में देय ब्याज से संबंधित अधिग्रहण अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत किए गए अधिग्रहणों पर लागू होगा। अधिनियम-इसलिए, इस हद तक धारा 35 जे कला का उल्लंघन है। 14 और इसलिए भारत का असंवैधानिक संविधान-कला। 14 , 31 - सी और 39 (बी)।

भारत का संविधान

कला. 31 - सी-संरक्षण के तहत-जब उपलब्ध हो-आयोजितः के लिए

[2019] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू/आर्ट संरक्षण का लाभ उठाना। 31 - ग उस प्रभाव की कोई घोषणा आवश्यक नहीं है-यदि कानून का प्रत्यक्ष और तर्कसंगत संबंध है

कला में निहित निर्देशक सिद्धांत। 39 (ख) कानून को कला द्वारा संरक्षित किया जाएगा। 31 - सी-यह एक निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी बनाने के प्रमुख उद्देश्य से अधिनियमित कानून का प्रत्येक प्रावधान नहीं है जो संशोधित Art.31-सी के तहत संरक्षित हैं, बल्कि केवल वे प्रावधान हैं जो प्रभावी बनाने के लिए मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।

निर्देशक सिद्धांतों की रक्षा की जाती है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, मूल रूप से

अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और मालिकों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बाजार मूल्य के साथ-साथ ब्याज भी दिया गया था। [पैरा 6] [63-बी] 1.2 राजमार्ग परियोजनाओं के विलंब को कम करने और तेजी से कार्यान्वयन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, संशोधित राष्ट्रीय

राजमार्ग अधिनियम भूमि मालिक को प्रस्ताव के माध्यम से किसी भी "पुरस्कार" को समाप्त कर देता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना के बाद, आपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुना जाना है, जिसका आदेश तब अंतिम बनाया जाता है। जिस क्षण

प्राधिकरण आपत्तियों को अस्वीकार कर देता है, केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार एक घोषणा द्वारा कहती है कि धारा 3 ए में उल्लिखित उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया महत्वपूर्ण नवाचार यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार दिए जाने के बाद वेस्टिंग को स्थगित नहीं किया जाता है। सेक्शन 3 डी की घोषणा होते ही वेस्टिंग की जाती है।

संशोधन अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मुआवजे का निर्धारण संशोधन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, जिसे यदि किसी भी पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाना है। इस तरह के मध्यस्थ का पुरस्कार तब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत चुनौती के अधीन है। इस प्रकार, जिला न्यायाधीशों को दिए गए संदर्भों और उनसे भारत और ए. एन. आर. के उच्च न्यायालय संघ को अपील करने में देरी।

वी. तारसेम सिंह और हमारा।

और सर्वोच्च न्यायालय को निरस्त कर दिया गया है। धारा 3 जी (7) नहीं है

ऋण अनुदान के लिए प्रावधान, और धारा 3 एच (5) द्वारा निर्धारित अतिरिक्त राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करता है

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 के परंतुक में निहित एक वर्ष की अवधि के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, उस पर मध्यस्थ, जिसके बाद केवल ब्याज मिलता है।

1.3 भूमि मालिक को जो ऋण राशि का भुगतान किया जाता है, वह इस तथ्य के कारण होता है कि एक भूमि मालिक, जो अलग होने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। उसकी भूमि को अब ऐसा करना है, और वह भी कानूनी रूप से निर्धारित मूल्य पर और बातचीत के माध्यम से नहीं, जिसके द्वारा, यकीनन, ऐसे भूमि मालिक को संपत्ति बेचने के लिए सबसे अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार जब इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि "सोलेटियम"

यह मुआवजे का एक हिस्सा है जो भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए देय है। [पैरा 10] [71-सी-डी]

सुंदर वी। भारत संघ (2001) 7 एससीसी 211: [2001] 3

पूरक। इसके बाद एस. सी. आर. 176 आया।

1.4 भूमि मालिकों को राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए उनकी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सॉलेटियम और ब्याज प्रदान किया गया था।

1997 के संशोधन अधिनियम तक राजमार्ग। ज़मीन के बाद

अधिग्रहण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू हो गया है। 2013 के अधिनियम की पहली अनुसूची में यह प्रावधान है कि

विभिन्न कारकों द्वारा गुणा किए गए बाजार मूल्य के 100% के बराबर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में स्थित है या नहीं, यह उन लोगों को दिया जाने वाला न्यूनतम मुआवजा पैकेज है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। 2013 के अधिनियम की चौथी अनुसूची, जिसे धारा 105 के साथ पढ़ा जाना है, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की मद 7 के तहत शामिल है। मद 9 में, इस अनुसूची में अधिग्रहण और अधिग्रहण भी शामिल है।

अचल संपत्ति अधिनियम, 1952। 28 तारीख की अधिसूचना द्वारा

2013 अधिनियम की धारा 113 के साथ पठित धारा 105 के तहत जारी अगस्त, 2015 में यह प्रावधान किया गया है कि 2013 अधिनियम के मुआवजे के प्रावधान [2019] 13 एस. सी. आर. के तहत होने वाले अधिग्रहणों पर लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम। परिणाम यह है कि 1997 से पहले दोनों

संशोधन अधिनियम और 2013 अधिनियम के लागू होने के बाद, उन भूमि मालिकों को ऋण और ब्याज का भुगतान किया जाता है जिनकी संपत्ति राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्यों के लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की जाती है। यह एक और बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। 1997 से 2015 तक की अवधि के लिए 1997 के संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता का निर्णय करते समय। [पैरा 11 और

12] [71 - ई; 72-ई-जी]

2.1 संपत्ति मालिक संघ के मामले में यह माना गया कि संजीव कोक मामले में दिए गए बयान के बाद कई बयान दिए गए

अन्य निर्णय, कि "समुदाय के भौतिक संसाधनों" में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल होंगे, प्रथम दृष्टया गलत होंगे और इसलिए मामला इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों को भेजा गया था, जिसका संदर्भ अभी भी लंबित है। वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए यह माना जाता है कि अनुच्छेद 31-सी, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, अभी भी मौजूद है और "समुदाय के भौतिक संसाधनों" में निजी संपत्ति भी शामिल होगी।

[पैरा 13] [74-सी-डी]

** संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत

कोकिंग कोल लिमिटेड और ए. एन. आर. [1983] 1 एस. सी. आर. 1000; * संपत्ति मालिक संघ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1996) 4 एससीसी 49: [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 230; मिनर्वा मिल्स बनाम। भारत संघ [1981] 1 एस. सी. आर. 206; संपत्ति मालिक संघ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2001) 4 एस. सी. सी. 455; कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी (1977) 4

एससीसी 471: [1978] 1 एस. सी. आर. 641-संदर्भित।

3.1 अनुच्छेद 31-सी के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उस ओर से कोई घोषणा की जाए। यह भी है

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी कानून को अनुच्छेद 31-सी द्वारा संरक्षित करने के लिए, उक्त कानून का प्रत्यक्ष और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 39 (बी) में निहित सिद्धांतों के साथ। [पैरा 16] [75-ई-एफ]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। बसंतीबाई मोहनलाल खेतान

(1986) 2 एससीसी 516: [1986] 1 एस. सी. आर. 707; असम सिलिमानाइट लिमिटेड बनाम। भारत संघ [1991] पूरक 3 एस. सी. आर.

273 - पर भरोसा किया।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा।

3.2 जिन उद्देश्यों और कारणों के कारण 1997 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया, उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के भौतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित किसी भी उद्देश्य का उल्लेख नहीं है।

जैसे ही धारा 3 डी अधिसूचना जारी की जाती है; और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विलंबित न्यायालय प्रक्रिया को मध्यस्थता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जाहिर है, इन उद्देश्यों का अनुच्छेद 39 (बी) में निहित निदेशक सिद्धांत के साथ कोई प्रत्यक्ष और तर्कसंगत संबंध नहीं है। [पैरा 18] [77-डी-एफ] 3.3 इस धारणा पर भी कि अनुच्छेद 31-सी वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित है, फिर भी, यह किसी क़ानून का प्रत्येक प्रावधान नहीं है, जिसे किसी निर्देश सिद्धांत को प्रभावी बनाने के प्रमुख उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, कि वह संरक्षण का हकदार है, बल्कि केवल क़ानून के वे प्रावधान हैं जो निर्देशात्मक सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।

संशोधित अनुच्छेद 31-सी के तहत संरक्षित हैं। [पैरा 18] [77-एफ-एच]

मिनर्वा मिल्स बनाम। भारत संघ [1981] 1 एस. सी. आर. 206-इसके बाद

तिनसुकिया विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य (1989) 3 एससीसी 709: [1989] 2 एस. सी. आर. 544; महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। थाना विद्युत आपूर्ति कंपनी।

(1989) 3 एससीसी 616: [1989] 2 एस. सी. आर. 58 संदर्भित है।

3.4 अनुच्छेद 31-सी के संरक्षण का परीक्षण केवल उन प्रावधानों को दिया जा रहा है जो मूल रूप से और अनिवार्य रूप से हैं।

अनुच्छेद 39 (बी) के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हटा दिया गया है

#Akadasi पधन मामले से। भले ही संशोधन अधिनियम, 1997 को अनुच्छेद 39 (बी) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक अधिनियम के रूप में माना जाए, लेकिन संशोधन अधिनियम का उद्देश्य [2019] 13 एस. सी. आर. को हटाने से पूरा नहीं होता है।

उक्त संशोधन अधिनियम के उद्देश्य के लिए इसे शुद्ध और सरल अधिग्रहण अधिनियम माना जाएगा क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी को दूर करने के लिए है। उस पर इस परीक्षण के अनुप्रयोग के साथ-साथ, यह स्पष्ट है कि ऋण और ब्याज के बिना मुआवजे का अनुदान, मूल रूप से और अनिवार्य रूप से उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं है

संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 31-सी की सुरक्षा नहीं मिलेगी और इसलिए, अनुच्छेद 14 के किसी भी उल्लंघन की अदालत द्वारा जांच की जा सकती है। [पैरा 18] [78-ई; 79-ई-जी]

डॉ. के. आर. लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) 2

एस. सी. सी. 226 [1996] 1 एस. सी. आर. 395-पर निर्भर था।

तमिलनाडु राज्य बनाम। एल. अबू कावुर बाई (1984) 1 एससीसी 515; महाराष्ट्र एसईबी बनाम। थाना विद्युत आपूर्ति कंपनी।

(1989) 3 एससीसी 616 [1989] 2 एससीआर 518; तिनसुकिया

विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य (1989) 3 एससीसी

709 : [1989] 2 एससीआर 544-विशिष्ट।

#अकादासी पधान बनाम। उड़ीसा राज्य [1963] सप। (2)

एस. सी. आर. 691 को संदर्भित किया गया। 4.1 आम तौर पर सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित एक वर्गीकरण है

भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नहीं, बल्कि इस तथ्य के कारण ही सहायता से इनकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 24] [84-जी-एच; 85-ए-बी] 4.2 1997 के संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना था। द.

ऋण और ब्याज देने का भारत और ए. एन. आर. के संघ को प्राप्त करने से कोई लेना-देना नहीं है।

वी. तारसेम सिंह और हमारा।

यह उद्देश्य, क्योंकि यह किसी का मामला नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के पुरस्कार के परिणामस्वरूप धीमा हो जाता है

सोलेटियम और ब्याज। इस प्रकार, भूमि मालिकों के विभिन्न समूहों के बीच किए गए वर्गीकरण, जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य से अधिग्रहित की जाती है और भूमि मालिक जिनकी भूमि अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है, का कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है - संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य के लिए भूमि का त्वरित अधिग्रहण। केवल इसी आधार पर, संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

[पैरा 22] [84-बी-डी]

पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम। विशेष उप कलेक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण [1965] 1 एस. सी. आर. 614-इसके बाद

केरल राज्य बनाम। टी. एम. पीटर (1980) 3 एससीसी 554: [1980]

3 एस. सी. आर. 290-निर्भर।

प्रकाश अमीचंद शाह बनाम। गुजरात राज्य (1986) 1

(3) वी. महाराष्ट्र राज्य (2011) 3 एससीसी 1: [2011] 3 एससीआर 1-विशिष्ट।

भारत संघ बनाम। हरि कृष्णन खोसला (1993) पूरक 2

एससीसी 149: [1992] 1 पूरक। एस. सी. आर. 620; भारत संघ बनाम।

छज्जू राम (2003) 5 एस. सी. सी. 568: [2003] 3 एससीआर 647

-

विशिष्ट और फिर से देखने की आवश्यकता है।

2011 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 375-अनुमोदित। नागपुर सुधार न्यास बनाम। विठ्ठल राव (1973) 1 एससीसी

500 [1973] 3 एस. सी. आर. 39; बालम्मल बनाम। मद्रास राज्य

[1969] 1 एससीआर 90; एच. वी. लो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।

को। 5. अनुच्छेद 31-ए के दूसरे परंतुक का कोई भी संदर्भ है

वर्तमान मामले में प्रश्न के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है और किसी भी परिस्थिति में एक निर्णय को अलग करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जो अन्यथा सभी चार पर लागू होता है। अनुच्छेद 31-ए का दूसरा प्रावधान उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनकी भूमि का अधिग्रहण तब किया जाता है जब ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से खेती कर रहा होता है। [2019] 13 एस. सी. आर. देने का कारण।

ऐसी दर पर क्षतिपूर्ति जो बाजार मूल्य से कम न हो

दूसरा प्रावधान यह है कि एक किसान, जो व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती कर रहा है, उसे समकक्ष मूल्य की अन्य भूमि मिले, जिसे वह तब व्यक्तिगत रूप से खेती कर सकता है। इस तरह किसान केंद्र में है कृषि सुधार कानून, यदि पर्याप्त रूप से भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है तो इस तरह के कानून को लागू किया जाएगा।

अनुपस्थित जमींदारों के बजाय उन्हें क्षतिपूर्ति करना जिनकी जमीनें हैं

6. जहाँ तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत आसान अधिकारों का संबंध है, धारा 3,9 और 31 से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो भूमि को प्रभावित करने वाले आसान बनाने में रुचि रखता है, वह दावा कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत इसके लिए मुआवजा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम दोनों के तहत, ऐसे दावों को कानून के अनुसार साबित करना पड़ता है, अंतर यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत वास्तविक देय होते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत की एक निश्चित राशि देय होती है। इसलिए, यह कहना पूरी तरह से गलत है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मालिक को अतिरिक्त राशि देय है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत देय नहीं है। इसके अलावा, दोनों अधिनियम उन व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान पर विचार करते हैं जिनके आसान अधिकार अधिग्रहण से प्रभावित हुए हैं। किसी भी स्थिति में, यह विवाद संभवतः ऋण राशि और ब्याज के गैर-भुगतान का जवाब नहीं दे सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम। [पैरा 37] [94-जी; 96-बी-डी]

7. यहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और अचल संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण के तहत होने वाले अधिग्रहणों में भी

संपत्ति अधिनियम, 1952,2013 के नए अधिग्रहण अधिनियम के तहत 2015 की अधिसूचना दोनों अधिनियमों के तहत आने वाले मामलों में मुआवजे और ब्याज को देय बनाती है। वास्तव में, 1 जनवरी, 2015 से 2013 के अधिनियम में संशोधन करते हुए 2014 का संशोधन अध्यादेश संख्या 9 जारी किया गया था। यह केवल तभी होता है जब यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है कि 28 अगस्त, 2015 की अधिसूचना तब 2013 अधिनियम की धारा 113 के तहत बनाई गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अध्यादेश के साथ-साथ अधिसूचना ने भारत संघ और ए. एन. आर. में निहित सिद्धांत को लागू किया है।

वी. तारसेम सिंह और हमारा।

#नागपुर सुधार न्यास मामला, केंद्र सरकार के रूप में

2013 के अधिनियम के तहत आम तौर पर भूमि मालिकों को उपलब्ध लाभों का विस्तार समान रूप से रखे गए भूमि मालिकों को करना आवश्यक समझा है, जिनकी भूमि चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट 13 अधिनियमों के तहत अधिग्रहित की गई है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम उपरोक्त अधिनियमों में से एक है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि नागपुर सुधार न्यास मामले का सिद्धांत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत होने वाले अधिग्रहणों पर लागू होगा, और यह कि राहत और ब्याज 2013 के अधिनियम के तहत उन व्यक्तियों को देय होगा जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई है, जैसा कि उन्हें उन भूमि मालिकों को दिया जाता है जिनकी भूमि 2013 के अधिनियम के तहत अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि सरकार का भी विचार है कि 2013 के अधिनियम के तहत आने वाले भूमि मालिकों और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत आने वाले भूमि मालिकों के बीच भेदभाव करना संभव नहीं है, जब किसी भी अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान करने की बात आती है। [पैरा 38] [96-ई-एफ; 97 बी; 99-सी-ई]

सुनीता मेहरा बनाम। भारत संघ (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन

1128 संदर्भित किया गया।

8. विवादित निर्णयों को इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता था कि जब मध्यस्थता पुरस्कारों में मुआवजे या ब्याज का प्रावधान नहीं था, तो भूमि मालिकों द्वारा कोई धारा 34 याचिका दायर नहीं की गई थी, इसलिए विवादित निर्णयों में मुआवजे और/या ब्याज की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार का स्वयं यह विचार है कि 1997 और 2015 के बीच उत्पन्न होने वाले मामलों में भी राहत और ब्याज दिया जाना चाहिए, न्याय के हित में ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र

धारा 23 (1ए) और (2) और धारा 28 परंतुक के संदर्भ में देय ब्याज राष्ट्रीय प्रावधान के तहत किए गए अधिग्रहणों पर लागू होंगे। राजमार्ग अधिनियम। नतीजतन, धारा 3जे का प्रावधान, इस हद तक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए, असंवैधानिक घोषित किया गया है। [पैरा 41] [101-एफ एच; 102-ए] [2019] 13 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

2011 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 375

पै

रा 4

मंजूरी मिल गई।

[2001] 3 पूरक। एससीआर 176

पीछा किया।

पै

रा 10

[1983] 1 एससीआर 1000

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1996] 2 पूरक। एससीआर 230

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1981] (1) एससीआर 206

पै

रा 13

संदर्भित किया गया है

(2001) 4 एससीसी 455

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1978] 1 एससीआर 641

पै

रा 13

संदर्भित किया गया है

[1984] 1 एससीआर 725

प्रतिष्ठित

पै

रा 14

[1989] 2 एससीआर 518

प्रतिष्ठित

पै

रा 14

[1989] 2 एससीआर 544

प्रतिष्ठित

पै

रा 15

[1986] 1 एससीआर 707

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1991] पूरक 3 एस. सी. आर. 273

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1996] 1 एससीआर 395

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[1963] सप. (2) एससीआर 691

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[1965] 1 एससीआर 614

पै

रा 19

पीछा किया।

[1973] 3 एससीआर 39

पीछा किया।

पै

रा 19

[1969] 1 एससीआर 90

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1992] 1 पूरक। एससीआर 620

विशिष्ट और

पै

रा 28

पुनः देखने की आवश्यकता है

[2003] 3 एससीआर 647

विशिष्ट और

पै

रा 29

पुनः देखने की आवश्यकता है

(2016) 12 एससीसी 699

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[1985] 3 पूरक। एससीआर 1025

प्रतिष्ठित

पै

रा 32

[1980] 3 एससीआर 290

उस पर भरोसा करें

पै

रा 33

[2011] 3 एससीआर 1

प्रतिष्ठित

पैरा 34 भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7064

2019 से।

2018 (ओ एंड एम) के एफ. ए. ओ. सं. 6715 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय और आदेश से

के साथ

सी. ए. सं. 7068/2019 , 7065/2019 , 7066/2019 , 7067/2019 , 7084 / 2019 , 7086/2019 , 7081/2019 , 7079/2019 , 7070-7071 / 2019 , 7104/2019 , 7101/2019 , 7090/2019 , 7072-7073 / 2019 , 7089/2019 , 7085/2019 , 7083/2019 , 7087/2019 , 7082/2019 , 7102/2019 , 7078/2019 , 7074/2019 , 7075/2019 ,

7103/2019 , 7080/2019 , 7076/2019 , 7077/2019 , 7105/2019 , 7088/2019 , 7069/2019 , 7092/2019 , 7110/2019 , 7091/2019 , 7094/2019 , 7095/2019 , 7097/2019 , 7100/2019 , 7099/2019 , 7096/2019 , 7098/2019 , 7093/2019 , 7109/2019 , 7106/2019 , 7107/2019 और 7108/2019।

मुकुल रोहतगी, नरेंदर हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आलोक सांगवान, देवाशीष भारुका, रघुजीत एस. मदन, दमनजीत सिंह मोंगा,

सुश्री अंकुर बेरी, सनी कादियां, यशवीर सिंह बल्हारा, रवि भरुका, मयंक शर्मा और राजेंद्र बेनीवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अमित सिब्बल, नीरज कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शशि पाल लालेर, आर. एस. मन्हास, सोनित सिंहमार, रवि पंवार, पी. एन. पुरी, सुश्री रीता दीवान पुरी, अभिषेक पुरी, परमजीत राजपूत, हरीश महाजन, त्रिपुरारी रे, बलवंत सिंह बिल्लौरिया, परवीन कुमार, विजय प्रताप सिंह,

विवेकानंद सिंह, अनिरुद्ध रे, सुश्री शिल्पा सिंह, गौरव अग्रवाल, यशराज सिंह देवड़ा, श्याम अग्रवाल, विनय त्रिपाठी, ऐश्वर्या विक्रम, सुश्री सोनल मशनकर, सुरिंदर सिंह, सतबीर सिंह राठौर, अरविंद गुप्ता, मनोज पुंडीर और नवनीत सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. भारत संघ द्वारा हमारे समक्ष अपीलों का एक समूह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है जो यह है कि गैर-अनुदान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के

लिए ऋण और ब्याज, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण किए जाने पर उपलब्ध है, कानून में गलत है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जे को इस हद तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त कर दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. इनमें से किसी एक अपील के तथ्यों को इन सभी अपीलों में विचार के लिए बिंदुओं के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। भारत संघ में और

एन. आर. वी. तारसेम सिंह और अन्य। (2019 की सिविल अपील संख्या 7064 @2019 की एसएलपी (सी) No.9599), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत एक अधिसूचना दिनांक 24.12.2004 जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य कुछ हिस्सों पर चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1-ए के उद्देश्य से प्रत्यर्थियों की भूमि का अधिग्रहण करना था।

जालंधर-पठानकोट खंड के साथ-साथ पठानकोट-जम्मू खंड पंजाब राज्य के अंतर्गत आता है। 11 जुलाई, 2005 को उक्त अधिनियम की धारा 3डी (2) के अनुसार उक्त भूमि को राज्य में निहित घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर 2006 को, सक्षम प्राधिकारी

अधिनियम द्वारा प्रदान की गई इस तरह की सहायता और ब्याज विद्वान मध्यस्थ द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। इस बीच, भारत संघ द्वारा मध्यस्थता अधिनियम के तहत दायर एक धारा 34 आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह निराशाजनक रूप से समय-वर्जित था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील करने पर, यह तथ्यों पर पाया गया कि चूंकि दिए गए मुआवजे की राशि को कुछ मामलों में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" होने के नाते समान स्थिति वाले व्यक्तियों में से किसी एक को चुनने और चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति मरला डेढ़ लाख की दर से मूल्यांकन के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। हालाँकि, न्यायालय ने उसी न्यायालय के एक पूर्व खंड पीठ के फैसले के बाद, यदि दी गई राशि का भुगतान छह महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो विभाजन अनुदान और 18 प्रतिशत ब्याज को हटा दिया। अदालत ने तब कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि मालिकों द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है, फिर भी अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा लाभकारी प्रकृति का है। कानून के अनुसार, वे पहले के डिवीजन बेंच के फैसले से बाध्य होंगे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और इसलिए, उक्त फैसले में निर्धारित 30 प्रतिशत की दर से मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

4. भारत संघ और एन. एच. ए. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने हमें प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताया

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम। उनके अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम भारत और ए. एन. आर. का एक पूर्ण संहिता संघ है।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से बाहर करता है, और ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि अनुपस्थित भेदभाव या

स्पष्ट मनमानेपन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले मुआवजे और ब्याज का गैर-अधिनिर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, एक अधिग्रहण अधिनियम और दूसरे के बीच चयन करना संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर अकेले राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम लागू होगा। इस मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स गोल्डन आयरन एंड स्टील फोर्जिंग बनाम भारत संघ 2011 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 375 में उद्धृत सभी निर्णय लागू नहीं होंगे। उनके अनुसार, बंशीलाल समारिया बनाम भारत संघ 2005-06 सप आरएलडब्ल्यू मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ

559 , मामलों की इस पंक्ति को सही ढंग से अलग किया और विभिन्न राज्य नगर योजना अधिनियमों के तहत निर्णयों की एक पंक्ति का समान रूप से सही ढंग से पालन किया।

अचल संपत्ति अधिनियम, 1952 और भारत रक्षा अधिनियम, 1971 का अधिग्रहण और अधिग्रहण इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में मुआवजे और ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 3 ए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को बाजार मूल्य पूर्ण बाजार दर पर दिया जाना था, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो ब्याज दिया जाता है वह केवल वैधानिक अधिकार हैं जो हो सकते हैं -

यदि कानून ऐसा आदेश देता है, और समान रूप से सम्मानित करने की आवश्यकता नहीं है जहां एक अलग विशेष कानून उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर करता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया,

कुछ हद तक कमजोर, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे भूमि के केवल टुकड़ों का अधिग्रहण करने की आवश्यकता थी, कई मामलों में, भूमि मालिकों के पास ऐसी संपत्तियां होंगी जो अधिग्रहण के अधीन नहीं होंगी

उनके साथ, उन्हें मुआवजे का भुगतान करने की किसी भी आवश्यकता को दूर करना। अंत में, उन्होंने यह तर्क देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 31-सी का भी उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया कि यदि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में 1997 के संशोधन अधिनियम, जिसमें अनुच्छेद 39 (बी) में निहित निदेशक सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए धारा 3 ए से 3 जे को अधिनियमित किया गया है, को हमले से इस आधार पर बचाया जाएगा कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

संविधान का उल्लंघन किया गया है।

5. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल ने श्री नीरज कुमार जैन के साथ मिलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विचार का बचाव किया। मैसर्स गोल्डन आयरन एंड स्टील फोर्जिंग (ऊपर दिए गए) मामले में अदालत ने यह इंगित करते हुए कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में 1997 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को निर्देश से बहुत दूर कर दिया गया था

अनुच्छेद 39 (बी) में निहित सिद्धांत और इसलिए, [2019] 13 एस. सी. आर. प्राप्त नहीं हुआ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-सी का संरक्षण। उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राजमार्ग परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन था, जिसे केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिनिर्णय और ब्याज को छोड़कर, उन व्यक्तियों के बीच भेदभाव होता है जो अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के विपरीत राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य से उनसे भूमि अधिग्रहण करने के लिए समान रूप से स्थित हैं, जिसका 1997 के संशोधन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। वे यह इंगित करने के लिए दुखी थे कि अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति के कारण "सोलेशियम" प्रदान किया जाता है, जो वर्तमान में मौजूद है चाहे भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए किया गया हो या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि ऋण और ब्याज मुआवजे के अभिन्न अंग हैं जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी भूमि को अनिवार्य रूप से जब्त कर लिया गया है। उन्होंने हमें अचल संपत्ति अधिनियम, 1952 और भारत रक्षा अधिनियम, 1971 के अधिग्रहण और अधिग्रहण के प्रावधानों के बारे में बताया और कहा कि उन अधिनियमों के तहत जो निर्णय दिए गए थे, जिन्होंने मुआवजे के गैर-अनुदान को बरकरार रखा था, क्योंकि उन अधिनियमों के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी संपत्ति की मांग की गई थी, जिनके लिए

मुआवजा दिया गया। राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया है,

एक बार ऐसी संपत्तियों के अधिग्रहण का उद्देश्य समाप्त हो जाने के बाद ऐसी संपत्तियों को उन अधिनियमों के तहत वापस सौंपा जा सकता था। इसके अलावा, यह केवल बहुत सीमित परिस्थितियों में ही था कि ऐसी अधिग्रहित संपत्ति का अधिग्रहण किया जाना था, जो,

सराहना की, उच्च न्यायालय को अधिकार की गलत रेखा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। गुण-दोष पर उन्होंने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय में ही कुछ मामलों में तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाले कुछ व्यक्तियों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत। इसके अलावा, जैसा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित फैसले में सही कहा था, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" होने के नाते, कुछ मामलों में आपत्तियां दायर नहीं कर सकता है और अन्य मामलों में मध्यस्थता पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में, भारत संघ और ए. एन. आर. के सीमित अधिकार क्षेत्र के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया है।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती दें। 6. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, मूल रूप से

अधिनियमित, भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान नहीं किया। इस प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1997 तक, इस उद्देश्य के लिए सभी अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्गों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत बनाया गया था, और मालिकों को उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बाजार मूल्य के साथ-साथ ब्याज भी दिया गया था।

7. 1997 के संशोधन अधिनियम पर आते हुए, उन उद्देश्यों और कारणों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जिनके कारण उपरोक्त संशोधन हुआ। वे.

ये हैं:

" 1. राष्ट्रीय राजमार्गों में निजी निवेश को बढ़ावा देने, राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने और उनके उचित प्रबंधन में बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988। 2. राजमार्ग परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में बाधाओं में से एक भूमि अधिग्रहण में अत्यधिक देरी रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि एक बार केंद्र सरकार यह घोषणा कर दे कि भूमि

3. निजी निवेश के माध्यम से निर्मित बाईपास की स्थिति की निरंतरता सुनिश्चित करना भी आवश्यक महसूस किया गया। इसे प्राप्त करने के लिए, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, जैसा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्गों के संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग कर सके।

प्राधिकरण में निहित।

4. केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पर्याप्त पूंजी और ऋण प्रदान करने की दृष्टि से,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का प्रस्ताव।

उसे तत्काल कार्रवाई करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1997 राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1997 को जारी किया गया था।

6. यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है।

8. इसके अनुसरण में, राष्ट्रीय मार्ग अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधन, जिनसे हम सीधे संबंधित हैं, निर्धारित किए गए हैं।

नीचेः

" 3. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया गया है।

जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ख) "भूमि" में भूमि और पृथ्वी से जुड़ी चीजों से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़े लाभ शामिल हैं।

सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी भूमि की निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन या संचालन के लिए आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग या उसका हिस्सा, वह अधिसूचना द्वारा

आधिकारिक राजपत्र, ऐसी भूमि के अधिग्रहण के अपने इरादे की घोषणा करता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अधिसूचना एक संक्षिप्त विवरण देगी।

भूमि का वर्णन।

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

3 बी. सर्वेक्षण आदि के लिए प्रवेश करने की शक्ति। - धारा 3 ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने पर, यह केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी व्यक्ति के लिए विधिसम्मत होगा -

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या

पूछताछ;

(ख) स्तर लें;

(ग) उप-मिट्टी में खोदना या खोदना; (घ) सीमाएँ और कार्य की इच्छित रेखाएँ निर्धारित करें;

(ई) ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखाओं को चिह्नित करें और

खाइयों को काटना; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या कार्य करें जो नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं।

उस सरकार द्वारा इस संबंध में किया गया।

अनुभाग। (2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधार निर्धारित किए जाएंगे।

व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और आगे ऐसा करने के बाद जांच, जो भी हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों की अनुमति देता है या अस्वीकार करता है।

(3) उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। 3 डी. अधिग्रहण की घोषणा-(1) जहां धारा 3 सी की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी को उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं की गई है या जहां सक्षम प्राधिकारी ने उस धारा की उप-धारा (2) के तहत आपत्ति को अस्वीकार कर दिया है, तो सक्षम प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, एक रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर. प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि एक वर्ष की उक्त अवधि की गणना करने में, अवधि या ऐसी अवधि जिसके दौरान धारा 3 ए की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही अदालत के आदेश द्वारा रोक दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा।

(4) उप के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा धारा (1) पर किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

3 ई. अधिकार लेने की शक्ति। - (1) जहां कोई भूमि धारा 3 डी की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार में निहित है, और ऐसी भूमि के संबंध में धारा 3 जी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि धारा 3 एच की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की गई है, तो सक्षम प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा मालिक के साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसी भूमि के कब्जे में हो सकता है, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को नोटिस की सेवा के साठ दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने या उसका कब्जा सौंपने का निर्देश दे सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है उप-धारा (1) के तहत बनाया गया, सक्षम प्राधिकारी लागू होगा

(क) महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी भी क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि के मामले में, पुलिस आयुक्त को;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के मामले में, किसी जिले के कलेक्टर को, और ऐसा आयुक्त या कलेक्टर, यथास्थिति, भारत संघ और ए. एन. आर. को लागू करेगा।

वी. तारसेम सिंह और हमारा।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

भूमि का सक्षम प्राधिकारी या व्यक्ति को समर्पण उसके द्वारा विधिवत अधिकृत।

3 एफ. उस भूमि में प्रवेश करने का अधिकार जहां भूमि केंद्र में निहित है

3 जी. मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण। - (1) जहाँ इस अधिनियम के तहत कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है, वहाँ एक राशि का भुगतान किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी। (2) जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वहां उपयोगकर्ता का अधिकार या किसी भूमि पर अधिभोग की प्रकृति का कोई अधिकार दिया जाएगा।

मालिक और किसी अन्य व्यक्ति को राशि जिसका अधिकार है उस भूमि में आनंद किसी भी तरह से प्रभावित हुआ है।

उस ज़मीन के लिए। (3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत राशि निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सक्षम प्राधिकारी दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना देगा, जिनमें से एक में होगी

एक स्थानीय भाषा जो अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करती है।

(4) ऐसी सूचना में भूमि का विवरण होगा और ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि द्वारा या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।

किसी समय और स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष और ऐसी भूमि में उनके संबंधित हित की प्रकृति बताने के लिए। (5) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) दोनों पक्षों में से किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए किसी भी पक्ष के आवेदन पर राशि का निर्धारण मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा जिसे मध्यस्थ द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

केंद्र सरकार। (6) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान इन पर लागू होंगे -

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्यस्थता।

(7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के तहत राशि का निर्धारण करते समय विचार करेगा।

(क) के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य

धारा 3 ए के तहत अधिसूचना; (ख) भूमि पर कब्जा करने के समय इच्छुक व्यक्ति को, यदि कोई नुकसान हुआ हो, तो उसके कारण

ऐसी भूमि को अन्य भूमि से अलग करना;

(ग) भूमि का कब्जा लेने के समय इच्छुक व्यक्ति को अधिग्रहण के कारण किसी भी तरह से उसकी अन्य अचल संपत्ति या उसकी कमाई को नुकसान पहुँचाने के कारण नुकसान, यदि कोई हो;

(घ) यदि भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, इच्छुक व्यक्ति को अपना निवास या स्थान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है।

व्यवसाय, उचित व्यय, यदि कोई हो, तो इस प्रकार के लिए आनुषंगिक

परिवर्तन करें।

3 एच. जमा और राशि का भुगतान। - (1) धारा 3 जी के तहत निर्धारित राशि केंद्र सरकार द्वारा भूमि का कब्जा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी तरीके से जमा की जाएगी जो उस सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) राशि जमा होने के बाद जितनी जल्दी हो सके

उप-धारा (1) के तहत, सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार की ओर से उस व्यक्ति या व्यक्तियों को राशि का भुगतान करेगा जो इसके हकदार हैं।

(3) जहां कई व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत जमा की गई राशि में रुचि रखने का दावा करते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों का निर्धारण करेगा जो अपनी राय में उनमें से प्रत्येक को देय राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

(4) यदि राशि या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह या उसका कोई हिस्सा देय है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख दीवानी न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा, जिसकी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भूमि स्थित है। (5) जहां मध्यस्थ द्वारा धारा 3 जी के तहत निर्धारित राशि भारत और ए. एन. आर. के सक्षम संघ द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्राधिकरण, मध्यस्थ धारा 3 डी के तहत कब्जा लेने की तारीख से वास्तविक जमा की तारीख तक ऐसी अतिरिक्त राशि पर प्रति वर्ष नौ प्रतिशत की दर से ब्याज दे सकता है।

(6) जहां मध्यस्थ द्वारा निर्धारित राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है, वहां उप-धारा (5) के तहत दी गई ब्याज, यदि कोई हो, के साथ अतिरिक्त राशि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी तरीके से जमा की जाएगी जो इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाए।

सरकार, सक्षम प्राधिकारी और उप-धारा (2) से (4) के प्रावधानों के साथ ऐसी जमा राशि पर लागू होगी।

3 - आई. सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी के पास, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक मुकदमे की सुनवाई करते समय, निम्नलिखित के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगीः

विषय, अर्थात्ः —

(क) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाना और लागू करना।

और शपथ पर उसकी जाँच करना;
(ख) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना;

(ङ) गवाहों की जाँच के लिए आयोग जारी करना।

3 जे. 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1 लागू नहीं होगा। - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में कुछ भी इसके तहत अधिग्रहण पर लागू नहीं होगा।

अधिनियम "।

प्राधिकरण आपत्तियों को अस्वीकार कर देता है, केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार एक घोषणा द्वारा कहती है कि इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। धारा 3 ए में उल्लिखित है। संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया महत्वपूर्ण नवाचार यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार दिए जाने के बाद वेस्टिंग को स्थगित नहीं किया जाता है। वेस्टिंग [2019] 13 एस. सी. आर. के तुरंत बाद होती है।

धारा 3 डी घोषणा की जाती है। संशोधन अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मुआवजे का निर्धारण संशोधन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, जिसे यदि किसी भी पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाना है। इस तरह के मध्यस्थ का पुरस्कार तब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत चुनौती के अधीन है। इस प्रकार, जिला न्यायाधीशों को दिए गए संदर्भों और उनसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने में देरी। निरस्त कर दिए गए हैं। धारा 3 जी (7) सहायता अनुदान का प्रावधान नहीं करती है,

एक वर्ष। 10. संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका क्या अर्थ है

"सोलेटियम" अभिव्यक्ति द्वारा। सुंदर बनाम भारत संघ (2001) 7 एस. सी. सी. 211 में, इस न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने समाधान की प्रकृति को निम्नानुसार निर्धारित कियाः

" 21. इस संदर्भ में यह इंगित करना उचित है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत विचार की गई जांच के दौरान कलेक्टर को

22. अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति को स्वैच्छिक बिक्री या हस्तांतरण से अलग किया जाना चाहिए। उत्तरार्द्ध में, भूमि मालिक के पास है
एक इच्छुक खरीदार का पता लगाने और बिक्री मूल्य के संबंध में उसके साथ बातचीत करने में सबसे व्यापक लाभ। इस तरह की बातचीत या सौदेबाजी में भी, आम तौर पर कोई भी भूमि मालिक भूमि के साथ भाग लेने की अपनी अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए किसी भी राशि के लिए सौदेबाजी नहीं करता था।

केवल भारत और ए. एन. आर. का संघ। वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह तथ्य कि वह भूमि की बिक्री के लिए बातचीत कर रहा है, यह दर्शाता है कि वह भूमि के साथ भाग लेने के लिए तैयार है। मालिक हस्तांतरण की शर्तों का निपटारा करने और खरीदार को चुनने के साथ-साथ उस समय का निर्धारण करने के लिए भी स्वतंत्र है जब वह भूमि पर अपने अधिकार और कब्जे के साथ विचार और विभाजन प्राप्त करेगा। लेकिन अनिवार्य अधिग्रहण में भूमि मालिक बिक्री मूल्य के लिए बातचीत और सौदेबाजी के अधिकार और अवसर से वंचित रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कलेक्टर या अदालत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्या तय करती है। उप-धारा (2) में "अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए" परिकल्पित सहायता इस प्रकार अधिग्रहित भूमि के साथ भाग लेने की अनिच्छा के कारण होने वाले नुकसान के समान नहीं है।

इस प्रकार, एक भूमि मालिक को जो सहायता राशि का भुगतान किया जाता है, वह इस तथ्य के कारण है कि एक भूमि मालिक, जो अपनी भूमि के साथ भाग लेने के लिए तैयार नहीं हो सकता है,

अब ऐसा करने के लिए, और वह भी कानूनी रूप से निर्धारित मूल्य पर और बातचीत के माध्यम से नहीं, जिसके द्वारा, यकीनन, ऐसे भूमि मालिक को संपत्ति बेचने के लिए सबसे अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार जब इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि "सोलेशियम" मुआवजे का एक हिस्सा है जो भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए देय है।

11. जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर कहा गया है, भूमि मालिकों को उनकी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए ऋण और ब्याज दिया गया था।

1997 के संशोधन अधिनियम तक राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य के लिए। दिलचस्प बात यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को निरस्त करने और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू होने के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 105 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 105. इस अधिनियम के प्रावधान कुछ मामलों में लागू नहीं होंगे या

कुछ संशोधनों के साथ लागू करना। - (1) उप के अधीन

धारा (3), इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे

में विनिर्दिष्ट भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम

चौथी अनुसूची।

(2) धारा 106 की उप-धारा (2) के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम को हटा सकती है या उसमें जोड़ सकती है। (3) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक वर्ष के भीतर

इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, यह निर्देश दिया जाता है कि पहली अनुसूची और पुनर्वास और [2019] 13 एस. सी. आर. के अनुसार मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान।

दूसरी और तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट पुनर्वास, जो प्रभावित परिवारों के लिए फायदेमंद है, भूमि के मामलों पर लागू होगा।

चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत अधिग्रहण या ऐसे अपवादों या संशोधनों के साथ लागू होगा जो मुआवजे को कम नहीं करते हैं या मुआवजे या पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर नहीं करते हैं, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। (4) उप के तहत जारी की जाने वाली प्रत्येक प्रस्तावित अधिसूचना की एक प्रति

एक सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल, और यदि, सत्र के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले या उपरोक्त सत्र के बाद के सत्रों में, दोनों सदन सहमत होते हैं। अधिसूचना जारी करने को अस्वीकार करने या दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होने पर, अधिसूचना

जारी नहीं किया जाएगा या, जैसा भी मामला हो, केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी किया जाएगा जिस पर दोनों सदनों द्वारा सहमति हो। संसद "।

12. उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि बाजार मूल्य के 100% के समतुल्य राशि को विभिन्न कारकों से गुणा किया जाए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में स्थित है या नहीं, यह उन लोगों को दिए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे का पैकेज है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस अधिनियम की चौथी अनुसूची, जिसे धारा 105 के साथ पढ़ा जाना है, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की मद 7 के तहत शामिल है। मद 9 में, इस अनुसूची में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण अधिनियम, 1952 भी शामिल है। दिनांकित अधिसूचना द्वारा

282013 के अधिनियम की धारा 113 के साथ पठित धारा 105 के तहत जारी अगस्त, 2015 में यह प्रावधान किया गया है कि 2013 के अधिनियम के मुआवजे के प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत होने वाले अधिग्रहणों पर लागू होंगे। परिणाम यह है कि 1997 के संशोधन अधिनियम से पहले और 2013 के अधिनियम के लागू होने के बाद, उन भूमि मालिकों को मुआवजे और ब्याज का भुगतान किया जाता है जिनकी संपत्ति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है -

राष्ट्रीय राजमार्ग। 1997 से 2015 तक की अवधि के लिए 1997 के संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता का निर्णय करते समय यह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अनुच्छेद 31-सी

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-सी और 39 (बी) के रूप में पढ़ा जाता है

इसके अंतर्गतः

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 31 सी. कुछ निर्देशात्मक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को बचाना। अनुच्छेद 13 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भाग 4 में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी बनाने वाली कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार से असंगत है, या उसे छीनती है या कम करती है और यह घोषणा करने वाली कोई भी कानून कि वह ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के लिए है, किसी भी अदालत में इस आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती हैः

बशर्ते कि जहाँ ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई जाती है, वहाँ इस अनुच्छेद के प्रावधान वहाँ तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी विधि राज्य के विधान-मंडल के विचार के लिए आरक्षित नहीं की गई हो।

" 39. राज्य द्वारा नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना है। राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा - XXX XXX XXX

(ख) कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाता है कि आम लोगों को सबसे अच्छा लाभ मिले।

अच्छा है;

XXX XXX "

संजीव कोक में एक दिलचस्प चर्चा निहित है।

विनिर्माण कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ए. एन. आर. (1983) 1

एस. सी. आर. 1000 पृष्ठ 1023 से 1025 तक, "समुदाय के भौतिक संसाधन" और अनुच्छेद 39 (बी) में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "वितरण" के दायरे पर। अंत में, न्यायालय ने निर्णय दियाः

" हमारा मानना है कि 'समुदाय के भौतिक संसाधन' अभिव्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं है; यह जनता के स्वामित्व वाले संसाधनों तक ही सीमित नहीं है; इसका अर्थ है और इसमें सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं। (पृष्ठ 1026 पर)

हालाँकि, हमें संपत्ति मालिक संघ बनाम में तीन निर्णयों के लिए संदर्भित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य। (1996) 4 एस. सी. सी. 49 में रिपोर्ट किए गए इन निर्णयों में से पहले में, इस न्यायालय ने

मिनर्वा में निहित घोषणा को देखते हुए क्या अनुच्छेद 31-सी बिल्कुल भी बचा है, इस परेशान करने वाले सवाल पर पांच विद्वान न्यायाधीशों से बात करें। मिल्स वी। भारत संघ 1981 (1) एस. सी. आर. 206 इस आशय का कि संशोधित अनुच्छेद 31-सी संवैधानिक रूप से अमान्य था। जैसा कि उपरोक्त घोषणा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल अनुच्छेद 31-सी को पुनर्जीवित नहीं करेगा, अनुच्छेद एक मृत पत्र बन गया। जब एक ही मामले में रिपोर्ट किए गए पाँच विद्वान न्यायाधीशों के पास गया

(2001) 4 एस. सी. सी. 455, इस न्यायालय की राय थी कि संजीव कोक (उपरोक्त) में व्यक्त किए गए विचारों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार की आवश्यकता है।

यह कि संजीव कोक (उपरोक्त) ने कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी (1977) 4 एस. सी. सी. 471 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, के तर्क को अपनाया, न कि न्यायमूर्ति उन्नतवालई के बहुमत निर्णय के तर्क को, जिन्होंने कहा कि उन्हें उन सभी बातों से सहमत नहीं समझा जाना चाहिए जो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, ने अपने निर्णय में कही हैं। इसलिए न्यायालय ने मामले को सात विद्वान न्यायाधीशों के पास भेज दिया। जब मामला सातों के सामने आया

(2013) 7 एस. सी. सी. 522 में रिपोर्ट किए गए विद्वान न्यायाधीशों, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संजीव कोक (उपरोक्त) में दिया गया बयान, जिसके बाद कई अन्य निर्णय आए, कि "समुदाय के भौतिक संसाधनों" में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल होंगे, प्रथम दृष्टया गलत होगा और इसलिए मामला इस न्यायालय के नौ विद्वान न्यायाधीशों को भेजा गया था, जिसका संदर्भ अभी भी लंबित है। हमने इस मामले को नौ विद्वान न्यायाधीशों के संदर्भ के साथ जोड़ना आवश्यक नहीं समझा है, क्योंकि

"समुदाय" में निजी संपत्ति भी शामिल होगी। 14. श्री दीवान ने इसके बाद हमें तमिलनाडु राज्य बनाम एल. अबू कावुर बाई (1984) 1 एस. सी. सी. 515 के बारे में बताया, जिसमें कहा गया था कि

कैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (एक्विजिशन) एक्ट, 1973 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31-सी द्वारा संरक्षित किया गया था। यह इस आधार पर माना गया था कि राष्ट्रीयकरण का उपाय अनुच्छेद 39 (बी) के अंतर्गत आएगा क्योंकि "वितरण" शब्द अत्यंत व्यापक महत्व का शब्द है, जिसमें समुदाय की भलाई के लिए एक वितरण प्रक्रिया के रूप में परिवहन का राष्ट्रीयकरण शामिल होगा। यह स्थिति वर्तमान मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन अधिनियम से बहुत दूर है, जो कि राष्ट्रीयकरण का उपाय बिल्कुल नहीं है, बल्कि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने का एक उपाय है। श्री दीवान ने तब महाराष्ट्र एस. ई. बी. बनाम थाना विद्युत आपूर्ति कंपनी (1989) 3 एस. सी. सी. 616 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें भारतीय विद्युत (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1976 को विद्युत अधिनियम, 1910 में शामिल किया गया था, जिसका प्रभाव अनिवार्य रूप से अर्जित किए गए उपक्रम के बाजार मूल्य को "राशि" की अवधारणा के साथ प्रतिस्थापित करना था, जो कि उसके वितरण के समय उपक्रम का पुस्तक मूल्य था। यहां तक कि इस अधिनियम के अनुसार, उपक्रम के अनिवार्य अधिग्रहण के आधार पर, लाइसेंसधारी को ऐसे पुस्तक मूल्य का 10 प्रतिशत की राशि दी गई थी। महत्वपूर्ण रूप से, यह न्यायालय, उस भारत संघ और ए. एन. आर. को अभिनिर्धारित करने के बाद।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

राष्ट्रीयकरण के लिए "वितरण" अभिव्यक्ति के भीतर आएगा

अनुच्छेद 39 (बी) के उद्देश्यों ने एक और परीक्षण तैयार किया जब कानून अनुच्छेद 31-सी के संरक्षण का दावा करता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 31-सी का संरक्षण केवल उन प्रावधानों को दिया गया है जो अनुच्छेद 39 (बी) के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं-पैराग्राफ 43 देखें। यह मामला फिर से उसी के लिए अलग है।

तमिलनाडु राज्य बनाम के रूप में इंगित कारण। एल. अबू कावुर बाई (ऊपर दिया गया है) क्योंकि यह राष्ट्रीयकरण का एक उपाय है जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के 1997 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्य से बहुत दूर है। दिलचस्प है।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 14 और 31 के तहत एक चुनौती अनुच्छेद 31-सी की सुरक्षात्मक छत्रछाया को देखते हुए विफल होने के लिए बाध्य थी, फिर भी संशोधन अधिनियम ने 10 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान किया था क्योंकि विधायिका ने सही ढंग से माना था कि मुआवजे का भुगतान संपत्ति के अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति के लिए दिए गए मुआवजे का एक हिस्सा है।

वे अनुच्छेद 31-सी के संरक्षण के हकदार थे। यह राष्ट्रीयकरण क़ानून, फिर से, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन अधिनियम, 1997 से बहुत दूर है। 16. यह सर्वसम्मत है कि किसी कानून को अनुच्छेद 31-सी के संरक्षण का लाभ उठाने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उसमें कोई घोषणा की जाए।

की ओर से। (महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाई मोहनलाल खेतान (1986) 2 एस. सी. सी. 516 530 पर देखें। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी कानून को अनुच्छेद 31-सी द्वारा संरक्षित करने के लिए, उक्त कानून का अनुच्छेद 39 (बी) में निहित सिद्धांतों के साथ प्रत्यक्ष और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। (असम सिलीमैनाइट लिमिटेड बनाम भारत संघ 1991 सप्लीमेंट 3 एससीआर 273 290 पर देखें)

17. डॉ. के. आर. लक्ष्मणन बनाम में एक ऐसे कानून का उदाहरण दिया गया है जिसमें अनुच्छेद 31 सी के लाभ का दावा किया गया था, लेकिन इस तरह के लाभ से वंचित कर दिया गया था।

तमिलनाडु राज्य (1996) 2 एस. सी. सी. 226 निम्नानुसार हैः

" 44. जिस मुख्य उद्देश्य के लिए क्लब की स्थापना की गई थी, वह दौड़-क्लब के व्यवसाय को जारी रखना है, विशेष रूप से घुड़दौड़, स्टीपलचेज़ या किसी अन्य प्रकार की दौड़ और किसी भी प्रकार के एथलेटिक खेलों के लिए और क्रिकेट के अपने खेल खेलने के लिए।

बाउल, गोल्फ, लॉन टेनिस, पोलो या किसी अन्य प्रकार के खेल या [2019] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनोरंजन, मनोरंजन, खेल या मनोरंजन आदि। इस फैसले के पहले भाग में, हमने क्लब के कामकाज को देखा है जो दर्शाता है कि टोटलीज़ेटर और सट्टेबाजों से 5 प्रतिशत कमीशन के अलावा सट्टेबाजी का कोई हिस्सा नहीं है-पैसा क्लब में आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के अनुसार वितरित किए जाने वाले समुदाय के किसी भी भौतिक संसाधन का स्वामित्व या नियंत्रण क्लब के पास नहीं है। क्लब के कामकाज के दो पहलू हैं। एक टोटलीजेटर और सट्टेबाजों के साथ पंटर्स द्वारा सट्टेबाजी है। क्लब कोई कमाई नहीं करता है

सट्टेबाजी से आय-5 प्रतिशत कमीशन को छोड़कर। क्लब के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई सवाल ही नहीं है।

समुदाय के भौतिक संसाधन या किसी भी तरह से योगदान

आर्थिक प्रणाली के संचालन की दिशा में जिसके परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों को आम लोगों तक केंद्रित किया जाता है

हानि पहुँचाता है। दूसरा पहलू क्लब द्वारा घुड़दौड़ का संचालन है। घोड़े की दौड़ एक कौशल का खेल है, जो घोड़ा दौड़ जीतता है उसे क्लब द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। यह घुड़दौड़ का एक सरल खेल है जिसमें जीतने वाले घोड़ों को पुरस्कार दिए जाते हैं। न ही

“ समुदाय के भौतिक संसाधनों की "न ही" आम भलाई के लिए "क्लब के दोहरे कामकाज के लिए कोई प्रासंगिकता है। इसी तरह, क्लब के संचालन का "आर्थिक प्रणाली के संचालन" पर कोई संबंध या प्रभाव नहीं है। इसमें निहित निदेशक सिद्धांतों को आकर्षित करने का कोई सवाल ही नहीं है।

संविधान का अनुच्छेद 39 (बी) और (सी)। अधिनियम की धारा 2 में घोषणा और पाठ जिसमें उद्देश्य और उद्देश्य पूरी तरह से शामिल हैं

संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) के दायरे और उद्देश्य को धोखा देना।

संविधान। जबकि अनुच्छेद 39 (बी) "समुदाय के भौतिक संसाधनों" को संदर्भित करता है, अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य "मद्रास रेस क्लब के भौतिक संसाधनों" को संदर्भित करते हैं। यह समझना मुश्किल है कि रेस क्लब के भौतिक संसाधन वास्तव में क्या हैं जिन्हें वितरित करने की कोशिश की जाती है ताकि निर्देशक सिद्धांतों के अर्थ के भीतर आम अच्छे को कम किया जा सके। समान रूप से, अनुच्छेद 39 (सी) का संदर्भ पूरी तरह से गलत है। जबकि अनुच्छेद 39 (सी) "आर्थिक प्रणाली के संचालन. आम नुकसान के लिए" से संबंधित है, अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य "मद्रास रेस क्लब की आर्थिक प्रणाली" को संदर्भित करते हैं। मद्रास रेस क्लब की आर्थिक प्रणाली का क्या अर्थ है, यह ज्ञात नहीं है। भले ही यह माना जाता है कि टोटलीज़ेटर और सट्टेबाजों के साथ पंटर्स द्वारा सट्टेबाजी भारत और ए. एन. आर. की आर्थिक प्रणाली का हिस्सा है।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मद्रास रेस क्लब के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए, हमारा विचार है कि उद्देश्यों और उद्देश्यों में अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) का संदर्भ और अधिनियम की धारा 2 पूरी तरह से अनुचित संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का एक यांत्रिक पुनरुत्पादन है। जहाँ तक 1986 के अधिनियम के प्रावधानों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) में निहित उद्देश्यों से है, वहाँ तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 31-सी के तहत संरक्षण को 1986 के अधिनियम तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

इसमें एक घोषणा थी कि इसे अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) के तहत राज्य की नीति को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। 18. जब हम उन उद्देश्यों और कारणों की जांच करते हैं जिनके कारण 1997 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो हम उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के भौतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित किसी भी उद्देश्य का उल्लेख नहीं पाते हैं।

समुदाय। संशोधन अधिनियम के उद्देश्य का अनुच्छेद 39 (बी) में निहित निदेशक सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका सीमित उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना है।

इसमें अत्यधिक देरी से बचें। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण करना नहीं था, जैसा कि पूर्व संशोधन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में इसके लिए प्रावधान किया गया था। संशोधन अधिनियम के उद्देश्य को भूमि अधिग्रहण अधिनियम में निहित योजना से अलग एक योजना प्रदान करके पूरा किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि मुआवजे के रूप में राशि के प्रस्ताव के चरण को पूरी तरह से हटा दिया गया है; धारा 3 डी अधिसूचना जारी होते ही निहित किया जाता है; और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विलंबित न्यायालय प्रक्रिया को मध्यस्थता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जाहिर है, इन वस्तुओं के साथ कोई प्रत्यक्ष और तर्कसंगत संबंध नहीं है

अनुच्छेद 39 (बी) में निहित निदेशक सिद्धांत। इसलिए, अनुच्छेद 31-सी नुकसान के रास्ते से बाहर है। अन्यथा भी, इस धारणा पर कि अनुच्छेद 31-सी इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित है, फिर भी, जैसा कि न्यायमूर्ति भगवती ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम. भारत संघ 1981 (1) एससीआर 206,

" ..... यह किसी कानून का प्रत्येक प्रावधान नहीं है, जिसे किसी निर्देश सिद्धांत को प्रभावी बनाने के प्रमुख उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, कि वह संरक्षण का हकदार है, लेकिन केवल कानून के वे प्रावधान जो निर्देश सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं, संशोधित अनुच्छेद के तहत संरक्षित हैं।

31 - सी "(पृष्ठ 338-339 पर)

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मार्ग का विशेष रूप से तिनसुकिया इलेक्ट्रिक में उल्लेख किया गया था।

सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 709 735 पर। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम थाना विद्युत आपूर्ति कंपनी (1989) 3 एस. सी. सी. 616 में, पैरा 43 पर, इस न्यायालय ने कहाः

" 43. किसी भौतिक संसाधन के राष्ट्रीयकरण का विचार समुदाय को वितरण के विचार से अलग नहीं किया जा सकता है

समुदाय में वह संसाधन जो इस तरह से आगे बढ़ता है

आम भलाई। संज्ञानात्मक और अनुक्रमिक प्रश्न होगा

क्या संशोधन अधिनियम, 1976 के प्रावधानों में

अनुच्छेद 39 (ख) के उद्देश्यों के साथ उचित और प्रत्यक्ष संबंध। यह सच है कि अनुच्छेद 31-सी का संरक्षण केवल उन प्रावधानों को दिया गया है जो अनुच्छेद 39 (बी) के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। से उच्च न्यायालय निर्णय में इसके तर्क की प्रवृत्ति, यह विचार लेती प्रतीत होती है कि जबकि मूल अधिनियम में अधिग्रहण का प्रावधान प्राप्त करने की शक्ति के बराबर हो सकता है, हालांकि, के उद्देश्य

1976 के संशोधन अधिनियम, जो केवल कीमत को कम करने का प्रयास करता था, को उस शक्ति का हिस्सा नहीं कहा जा सकता था और इसलिए, अनुच्छेद 39 (बी) के साथ कोई संबंध स्थापित करने में असमर्थ था। वहाँ है,

हम सम्मान के साथ ऐसा कहते हैं, इस तर्क में एक भ्रांति।

अनुच्छेद 31-सी के संरक्षण का परीक्षण केवल उन प्रावधानों को दिया जा रहा है जो प्रभाव देने के लिए मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।

अनुच्छेद 39 (बी) के उद्देश्यों को अकादमी पधान बनाम उड़ीसा राज्य 1963 सप. से हटा लिया गया है। (2) एस. सी. आर. 691, जहाँ इस न्यायालय ने अनुच्छेद 19 (6) के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया कि कौन से कानून राज्य के एकाधिकार का निर्माण करते हुए पारित किए गए हैं, यह केवल वे आवश्यक और बुनियादी प्रावधान हैं जो राज्य द्वारा संरक्षित हैं।

अनुच्छेद 19 (6) का अंतिम भाग। इस न्यायालय ने परीक्षण को इस प्रकार कहाः

अनुच्छेद 19 (1) (छ) के मुख्य प्रावधान के लिए। अनुच्छेद 19 (6) द्वारा संरक्षित कानूनों को वैध माना जाता है, भले ही वे अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हों। यह उक्त अनुच्छेद के खंड (2) से (6) के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) में निहित योजना का

प्रभाव है। यदि ऐसा है तो यह अनुचित होगा। प्रासंगिक खंड पर एक अनुचित रूप से व्यापक और उदार बनाने के लिए

निर्माण "। भारत और ए. एन. आर. संघ में "राज्य एकाधिकार" से संबंधित कानून नहीं हो सकता है।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संदर्भ में, उक्त कानून में निहित सभी प्रावधानों को शामिल करें कि क्या उनका एकाधिकार के निर्माण के साथ सीधा संबंध है या नहीं। हमारी राय में, उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ एकाधिकार से संबंधित कानून के रूप में किया जाना चाहिए जो इसकी बिल्कुल आवश्यक विशेषताओं में है। यदि राज्य का एकाधिकार बनाने के लिए कोई कानून पारित किया जाता है, तो न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि उक्त कानून के कौन से प्रावधान हैं जो मूल रूप से और अनिवार्य रूप से राज्य का एकाधिकार बनाने के लिए आवश्यक हैं। यह केवल वे आवश्यक और बुनियादी प्रावधान हैं जो द्वारा संरक्षित हैं

अनुच्छेद 19 (6) का अंतिम भाग। यदि अधिनियम द्वारा बनाए गए अन्य प्रावधान हैं जो सहायक, आकस्मिक या सहायक हैं

एकाधिकार के संचालन में, वे उक्त भाग के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनकी वैधता को अनुच्छेद 19 (6) के पहले भाग के तहत आंका जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 19 (6) में किए गए संशोधन का प्रभाव एकाधिकार के निर्माण से संबंधित कानून की रक्षा करना है और इसका मतलब है कि यह केवल कानून के प्रावधान हैं जो एकाधिकार के निर्माण से अभिन्न और अनिवार्य रूप से जुड़े हैं जो संरक्षित हैं। शेष प्रावधान जो आकस्मिक हो सकते हैं।

वे अनुच्छेद 19 (6) के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत नहीं आते हैं और उन्हें अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 19 (6) के पहले भाग की कसौटी को पूरा करना होगा। ” (पृष्ठ पर

707)

भले ही संशोधन अधिनियम, 1997 को लागू करने के लिए एक अधिनियम माना जाए।

अनुच्छेद 39 (बी) के उद्देश्यों में से, संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मुआवजे से मुआवजे और ब्याज को हटाकर पूरा नहीं किया जाता है। सम्मानित किया गया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बिना ऋण और ब्याज के मुआवजे का अनुदान मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है।

जैसा कि हमने देखा है कि संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी को रोकने के लिए है। इस परीक्षण के आवेदन पर भी, यह स्पष्ट है कि बिना मुआवजे और ब्याज के मुआवजे का अनुदान, मूल रूप से और अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है संशोधन अधिनियम के उद्देश्य को अनुच्छेद 31-सी की सुरक्षात्मक छत्रछाया नहीं मिलेगी और इसलिए, अनुच्छेद 14 के किसी भी उल्लंघन की अदालत द्वारा जांच की जा सकती है।

अनुच्छेद 14-भेदभाव

19. उत्तरदाताओं के मामले का शीट एंकर है

पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम विशेष उप [2019] 13 एस. सी. आर. मामले में संविधान पीठ का फैसला।

भूमि अधिग्रहण क्षेत्र (1965) 1 एस. सी. आर. 614 और नागपुरओवेमेंट ट्रस्ट बनाम विट्ठल राव (1973) 1 एस. सी. सी. 500। अतः यह है कि

इन दोनों निर्णयों का कुछ विस्तार से प्रचार करना महत्वपूर्ण है।

20. पी. वज्रवेलु मुदलियार (ऊपर) में, मद्रास विधानमंडल

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान

क्षतिपूर्ति तय करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करके एनजी योजनाएं

जो मूल अधिनियम में विहित हैं। ये हैं अंतर

फैसले में इस प्रकार कहा गया हैः

" अगला सवाल यह है कि क्या संशोधन अधिनियम में बनाया गया था संविधान के अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन। संशोधन

अर्जित संपत्ति। इसे भूमि अधिग्रहण में संशोधन के लिए पारित किया गया था राज्य को आवास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मद्रास राज्य में अधिनियम, 1894। आवास योजना "है

इसका अर्थ है "किसी भी राज्य सरकार की योजना का उद्देश्य

जो आवास में वृद्धि कर रहा है "और धारा 3 के तहत

संशोधन अधिनियम की धारा 23 मूल अधिनियम में बनाई गई है। कुछ संशोधनों के साथ ऐसे अधिग्रहण पर लागू होता है। खंड में

23 मूल अधिनियम की, उप-धारा (1) में खंड प्रथम के लिए,

निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया गया हैः

" पहला, धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि का बाजार मूल्य या पांच वर्षों के दौरान भूमि के औसत बाजार मूल्य के बराबर राशि।

ऐसी तारीख से तुरंत पहले के वर्ष, जो भी कम हो।

खंड छठे के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा गयाः

" सातवाँ, धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को जिस भूमि का उपयोग किया गया था।

मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) को सॉलेटियम के संबंध में "पंद्रह प्रति शब्द" शब्दों को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया था।

"पाँच प्रतिशत" शब्दों द्वारा। मूल अधिनियम की धारा 24 में खंड सातवें के बाद निम्नलिखित खंड था -

जोड़ा गयाः

" आठवाँ, धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि के उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए इसकी उपयुक्तता या अनुकूलनशीलता के कारण अधिग्रहित भूमि के मूल्य में कोई वृद्धि। ”

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संशोधन अधिनियम की धारा 4 के तहत, इसकी धारा 3 के प्रावधान उन सभी मामलों पर लागू होंगे जिनमें उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित हैं। संशोधन अधिनियम का परिणाम यह है कि यदि राज्य सरकार आवास के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण करती है, तो दावेदार को मूल अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर केवल भूमि का मूल्य या ऐसी तारीख से तुरंत पहले के पांच वर्षों के दौरान भूमि के औसत बाजार मूल्य के बराबर राशि, जो भी कम हो, मिलती है। उसे मूल अधिनियम के तहत 15 प्रतिशत के बजाय इस तरह के मूल्य का केवल 5 प्रतिशत का ऋण मिलेगा। उसे उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए भूमि की उपयुक्तता के कारण कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।

इसे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर रखा गया था। ” (पृष्ठ पर

629 & 630)

उक्त संशोधन अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह अनुच्छेद 14 द्वारा सफल हुआ, न्यायालय ने कहाः

" अब भूमि के मालिक व्यक्तियों के बीच क्या अंतर हैं?

साथ ही, यदि आवास योजना सीमित है, तो अधिग्रहित भूमि यह उतना बड़ा नहीं है जितना एक बड़े विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है। यदि बंजर भूमि संशोधन अधिनियम के तहत आवास योजना के लिए अच्छी है, तो यह उस अस्पताल या स्कूल के लिए समान रूप से उपयुक्त होगी जिसके लिए उक्त भूमि को मूल अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया जा सकता है। न ही वित्तीय स्थिति या भूमि के मालिक व्यक्तियों की संख्या की कोई प्रासंगिकता है, क्योंकि दोनों ही मामलों में भूमि का अधिग्रहण अमीर या गरीब, एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों से किया जा सकता है। आस-पास की भूमि से

समान गुणवत्ता और मूल्य, एक को संशोधन अधिनियम के तहत एक आवास योजना के लिए और दूसरा मूल अधिनियम के तहत एक अस्पताल के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है; उसी [2019] 13 एस. सी. आर. से संबंधित दो आसन्न भूखंडों में से।

व्यक्तिगत और समान गुणवत्ता और मूल्य का, एक प्राप्त किया जा सकता है

जिस भी पहलू से मामले को देखा जाता है, कथित मतभेदों का इच्छित वस्तु से कोई उचित संबंध नहीं है

हासिल किया। ऐसा कहा जाता है कि संशोधन अधिनियम का उद्देश्य अपने आप में

यह कहना एक बात है कि व्यक्तियों के बीच मौजूदा अंतर और गुणों का उस वस्तु से उचित संबंध है जिसकी मांग की गई है

प्रस्ताव सही है, हम इसमें कोई अंतर नहीं खोज सकते हैं उद्देश्य के आधार पर भूमि या भूमि के मालिक लोग। द.

इसका उद्देश्य आवास योजनाओं के लिए कम कीमत पर भूमि अधिग्रहण करना है। के लिए

उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उक्त श्रेणियों में से किसी में आने वाली कोई भी भूमि

संशोधन अधिनियम के तहत प्राप्त किया जा सकता है। जनता के लिए भी

इस उद्देश्य के लिए ऐसी किसी भी भूमि का अधिग्रहण मूल अधिनियम के तहत किया जा सकता है।

इसलिए हम मानते हैं कि संशोधन पर भेदभाव व्यापक है।

अधिनियम और इसे उचित के सिद्धांत पर कायम नहीं रखा जा सकता है

यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और अमान्य है। ” (पृष्ठ 634 पर & 635)

(जोर दिया गया)

21. नागपुर सुधार न्यास (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निर्दिष्ट किया

नागपुर सुधार न्यास अधिनियम, जिसके तहत भूमि होनी थी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संदर्भ में लाल, जैसा कि संशोधित किया गया है। हम.

इस मामले में उस संशोधन से संबंधित है जो इसके साथ संबंधित हैसुधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रावधान, जिसमें 15 प्रतिशत का ओलैटियम प्रदान नहीं किया गया था जो भूमि के तहत प्राप्त किया गया होता

आई. एस. आई. एन. अधिनियम। इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की जांच की।

मुझे विस्तार से, और पी. वज्रवेलु मुदलियार (सुप्रा) को एक साथ फॉलो कियाएक अन्य निर्णय, बालम्मल बनाम मद्रास राज्य (1969) 1 एस. सी. आर. 90।

अदालत ने कहाः

" 27. के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण क्या हो सकता है

मुआवजे का निर्धारण करना यदि कानून का उद्देश्य है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण?

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

28. यह विवादित नहीं होगा कि अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के विभिन्न सिद्धांतों को इस आधार पर तैयार नहीं किया जा सकता है कि मालिक बूढ़ा या जवान, स्वस्थ या बीमार, लंबा या छोटा है, या क्या मालिक को संपत्ति विरासत में मिली है या उसने अपने प्रयासों से इसका निर्माण किया है, या क्या मालिक राजनेता है या वकील है। इस तरह का वर्गीकरण टिकाऊ क्यों नहीं है? क्योंकि उद्देश्य है

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहण, उद्देश्य समान रूप से है यह हासिल किया गया कि क्या भूमि एक प्रकार के मालिक की है या किसी अन्य प्रकार की

प्रकार।

29. क्या सार्वजनिक उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है?

मुआवजे के उद्देश्य से किस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? दूसरे शब्दों में, क्या विधायिका अधिग्रहित भूमि जैसे अस्पताल या स्कूल या सरकारी भवन के लिए मुआवजे के विभिन्न सिद्धांत निर्धारित कर सकती है? क्या विधानमंडल यह कह सकता है कि अस्पताल के लिए बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत पर, स्कूल के लिए बाजार मूल्य के 60 प्रतिशत पर और सरकारी भवन के लिए बाजार मूल्य के 70 प्रतिशत पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा? तीनों उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य हैं और जहाँ तक

मालिक चिंतित है कि उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य है या दूसरा। अनुच्छेद 14 व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है।

और एक वर्गीकरण को सही ठहराने के लिए कुछ होना चाहिए

जो इस व्यक्तिगत अधिकार के लिए एक अलग उपचार को उचित ठहराता है। हमें ऐसा लगता है कि आम तौर पर सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित एक वर्गीकरण है

क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 14 के तहत अनुमति नहीं है। स्थिति तब अलग होती है जब भूमि का मालिक स्वयं सुधार से लाभ प्राप्त करता है। योजना, और उसे मिलने वाले लाभ को मुआवजा तय करने में ध्यान में रखा जाता है। के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है

भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार? दूसरे शब्दों में मुआवजे के विभिन्न सिद्धांत रखे जा सकते हैं यदि भूमि का अधिग्रहण किसी के लिए या उसके द्वारा किया जाता है। सुधार न्यास या नगर निगम या सरकार? हमें ऐसा लगता है कि इसका उत्तर नकारात्मक है क्योंकि जहां तक मालिक का संबंध है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूमि एक प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है या दूसरे द्वारा।

30. चाहे वह एक अधिग्रहण अधिनियम हो या कोई अन्य अधिग्रहण अधिनियम जिसके तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। यदि दो अधिनियमों का अस्तित्व राज्य को एक मालिक को दूसरे से अलग व्यवहार देने में सक्षम बना सकता है, तो समान रूप से स्थित मालिक जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, वह अनुच्छेद 14 के संरक्षण का दावा कर सकता है।

22. पी. वज्रवेलु मुदलियार (ऊपर) और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (ऊपर) दोनों ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में रखा। उत्तरदाता, जैसा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स गोल्डन आयरन एंड स्टील फोर्जिंग (उपरोक्त) में सही ठहराया गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, 1997 के संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना था। यह उद्देश्य ऊपर बताए गए तरीके से प्राप्त किया गया है। यह ध्यान दिया जाएगा कि ऋण और ब्याज देने का इस उद्देश्य को प्राप्त करने से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि यह किसी का मामला नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण धीमा हो जाता है

ऋण और ब्याज के पुरस्कार के परिणामस्वरूप नीचे। इस प्रकार, भूमि मालिकों के विभिन्न समूहों, जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य से अधिग्रहित की जाती है और भूमि मालिकों, जिनकी भूमि अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है, के बीच किए गए वर्गीकरण का संशोधन अधिनियम, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य के लिए भूमि के त्वरित अधिग्रहण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। केवल इसी आधार पर, संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। 23. अन्यथा भी, पी. वज्रवेलु मुदलियार (उपरोक्त) में, इस तथ्य के बावजूद कि संशोधन अधिनियम का उद्देश्य कम कीमत पर आवास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करना था, फिर भी संशोधन अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।

जब उसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 15 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत की दर से ऋण सहायता का प्रावधान किया था, तो न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि क्या समान गुणवत्ता और मूल्य की निकटवर्ती भूमि का अधिग्रहण आवास योजना या अस्पताल जैसे किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो भूमि मालिकों के दो समूहों के बीच एक अंतर है, जिनका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं है। विशेष रूप से, एक और उदाहरण दिया गया है-एक ही व्यक्ति से संबंधित दो निकटवर्ती भूखंडों में से एक को किसी विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मूल अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया जा सकता है और एक को आवास योजना के लिए संशोधन अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया जा सकता है, जिसे जब भूमि मालिक के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह भेदभावपूर्ण होगा, जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं होगा, जो कि जनता के लिए संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण है।

24. नागपुर सुधार न्यास (उपर्युक्त) ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 14 के तहत सामान्य रूप से सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, पैरा में 30 , सात न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या यह एक अधिग्रहण अधिनियम है या कोई अन्य अधिग्रहण अधिनियम जिसके तहत भारत और ए. एन. आर. का संघ है।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भूमि का अधिग्रहण इस प्रकार किया जाता है, जैसे कि इन दो अधिनियमों का अस्तित्व राज्य को एक मालिक को दूसरे से अलग व्यवहार देने में सक्षम बनाएगा, जो समान रूप से स्थित है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जाएगा। इन मामलों के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि भूमि मालिक के दृष्टिकोण से यह मायने नहीं रखता कि उसकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई है, न कि

भूमि अधिग्रहण अधिनियम को केवल इसी तथ्य के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

25. श्री दीवान ने उस अनुच्छेद 31 में एक तर्क दिया था-एक दूसरे परंतुक से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुआवजे की दर

बाजार मूल्य से कम नहीं होगा जो केवल उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में देय होगा और अन्यथा नहीं। इस कारण से, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का मामला अलग है, जिसमें से एक

इसमें दिए गए उदाहरण यह हैं कि एक भूमि मालिक को बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत और दूसरे मालिक को मुआवजा देकर समान रूप से स्थित भूमि मालिकों के बीच भेदभाव करना संभव नहीं होगा।

100 % बाजार मूल्य।

26. नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के मामले को समग्र रूप से पढ़ना होगा। ऊपर निकाले गए परिच्छेदों में से केवल एक उदाहरण पर जोर देने से उक्त निर्णय का अनुपात लागू नहीं होगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 31-ए का दूसरा प्रावधान

जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण तब किया जाता है जब ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसी पर खेती कर रहा होता है। बाजार मूल्य से कम दर पर मुआवजा देने का कारण यह है कि एक किसान, जो व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती कर रहा है, उसे समकक्ष मूल्य की अन्य भूमि मिले, जिसे वह तब व्यक्तिगत रूप से खेती कर सकता है। चूंकि ऐसा किसान कृषि सुधार कानून के केंद्र में है, इसलिए इस तरह के कानून को तब लागू किया जाएगा जब अनुपस्थित जमींदारों के बजाय उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए बिना भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जिनकी भूमि तब भूमिहीनों को दी जाती है और ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है यदि वे व्यक्तिगत रूप से राज्य कृषि सीमा अधिनियमों के तहत अधिकतम सीमा क्षेत्र से कम भूमि पर खेती करते हैं। हम सोचते हैं कि अनुच्छेद 31-ए के दूसरे परंतुक का कोई भी संदर्भ हमारे सामने प्रश्न के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है और किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

एक निर्णय को अलग करें जो अन्यथा सभी चौकों पर लागू होता है। 27. हालाँकि, यह तर्क दिया गया था कि निर्णयों की एक पंक्ति ने पी. वज्रवेलु मुदलियार (उपरोक्त) और नागपुर को अलग किया है।

सुधार न्यास (ऊपर) और यह कि निर्णयों की इस पंक्ति का पालन उपरोक्त दो निर्णयों से पहले किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. भारत संघ बनाम हरि कृष्णन खोसला 1993 सप (2)

149 , इस न्यायालय ने अधिग्रहण और अधिग्रहण को बरकरार रखा

संपत्ति अधिनियम, 1952 में कहा गया है कि संपत्ति का गैर-अनुदान

भूमि अधिग्रहण के तहत जो अन्यथा अनुदान योग्य थे

1952 के अधिनियम को संवैधानिक रूप से कमजोर नहीं बनाएगा। न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बीच एक मिनट का अंतर लिया

और दूसरी ओर 1952 का अधिनियम। इस प्रकार, न्यायालय ने कहाः

" 43. विषमताओं पर आते हुए, माँग के मामले में, स्वामित्व से उत्पन्न अधिकारों के समूह में महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक, अर्थात्, जब संपत्ति की माँग की गई थी, तो कब्जा करने और आनंद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यह उस अधिकार को घटाता है जिसके लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है।

8 (2) , शेष अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

44. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत विरोधाभास में, जैसा कि कहा गया है ऊपर, अधिकारों का कुल योग, अर्थात् स्वामित्व स्वयं अर्जित किया जाता है। हम न्यायशास्त्र पर सैल्मंड (1966) 12 वीं संस्करण से उपयोगी उद्धरण दे सकते हैं। , अध्याय 8 पृष्ठों पर 246-247:

" स्वामित्व एक व्यक्ति और उसके बीच के संबंध को दर्शाता है।

एक विषय बनाने वाली वस्तु-उसके स्वामित्व की बात। इसमें अधिकारों का एक समूह शामिल है, जिनमें से सभी अधिकार हैं, जो केवल विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे विश्व के खिलाफ अच्छे हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में इनमें से कुछ अधिकार अनुपस्थित हो सकते हैं, स्वामित्व के सामान्य मामले में निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करने की उम्मीद की जा सकती है।

सबसे पहले, मालिक को उस चीज़ के मालिक होने का अधिकार होगा जो वह लेता है। मालिक हैं।

दूसरा, मालिक को आम तौर पर स्वामित्व वाली चीज़ का उपयोग करने और आनंद लेने का अधिकार हैः इसका प्रबंधन करने का अधिकार, अर्थात, यह तय करने का अधिकार कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा; और उससे आय का अधिकार।

*

*

पाँचवाँ, स्वामित्व का एक अवशिष्ट चरित्र होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूमि मालिक अपनी संपत्ति का पट्टा ए को देता है, बी को एक छूट और कुछ अन्य अधिकार जैसे कि सी को लाभ देता है, तो उसके स्वामित्व में अब अवशिष्ट अधिकार शामिल हैं, यानी, शेष अधिकार जब इन सभी कम अधिकारों को दे दिया गया है। भारत संघ और ए. एन. आर.

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

45. फिर से, अधिनियम के तहत, अधिग्रहण भले ही सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो, अधिनियम की धारा 7 (3) के दो खंडों तक ही सीमित है, जिसका हम पहले ही संदर्भ दे चुके हैं। इस प्रकार दो

धारा 7 (3) के खंड वैधानिक प्रतिबंध का गठन करते हैं।

46. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है जब तक कि कोई अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्य हो। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, ये महत्वपूर्ण हैं संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के सवाल से निपटने के दौरान अंतर को ध्यान में रखना होगा। हम तुरंत यह कह सकते हैं कि जब इस संदर्भ में जांच की जाती है, तो उच्च न्यायालय के भेदभाव का मामला बनाने के तर्क इस प्रकार प्रतीत होते हैं -

गलत है।

XXX XXX XXX 58. हमारा दृढ़ मत है कि भूमि अधिग्रहण के मामले उन मामलों की तुलना में अलग हैं जहां ऐसी संपत्ति के अधीन है -

अधिग्रहण से पहले एक पूर्व मांग।

59. इसलिए, अधिग्रहण से संबंधित मामले जैसे वज्रवेलु

मुदलियार मामला [(1965) 1 एससीआर 614: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1017], बालम्मल मामला [(1969) 1 एस. सी. आर. 90: ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1425], नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मामला [(1973) 1 एस. सी. सी. 500] और पीटर मामला [(1980) 3 एस. सी. सी. 554] यहाँ मुद्दे को तय करने में सहायक नहीं हैं। गोवर्धन बनाम. भारत संघ (1983 की सिविल अपील संख्या 3058, जिसे इस न्यायालय ने 31 जनवरी, 1983 को अनुमति दी थी) निस्संदेह भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के तहत अधिग्रहण का मामला था, लेकिन इसमें कोई चर्चा नहीं है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि प्रकाश अमीचंद शाह मामले [(1986) 1 एस. सी. सी. 581] में निर्धारित प्रत्येक मामले में मुआवजे का पुरस्कार अनिवार्य नहीं है।

29. इसी तरह, भारत संघ बनाम छज्जू राम (2003) 5 एस. सी. सी. 568 ई. में, जो भारत रक्षा अधिनियम, 1971 के तहत उत्पन्न हुआ, इस न्यायालय ने हरि कृष्णन खोसला (ऊपर) से विवाह किया, जिसमें पाया गया कि

भारत का प्रभाव अधिनियम 1952 के अधिनियमों के समान था।

इसलिए न्यायालय ने कहाः

" 25. यहां ऐसा कोई मामला नहीं है जहां अधिग्रहण अधिनियम का अस्तित्व राज्य को एक मालिक को दूसरे समान रूप से स्थित मालिक से अलग व्यवहार देने में सक्षम बनाता है, जिसके आधार पर प्रथम नागपुर सुधार न्यास मामले [2019] 13 एस. सी. आर. में अनुच्छेद 14 को लागू करने की मांग की गई थी।

[(1973) 1 एससीसी 500]। जिन उद्देश्यों के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है, वे बिल्कुल अलग और अलग हैं जिनसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान को भूमि अधिग्रहण के लिए लागू किया जा सकता है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भूमि की मांग की गई थी। अधिग्रहण की अवधि के दौरान भूमि के मालिक को इसके लिए मुआवजा दिया जाना है। उक्त अधिनियम की धारा 30, जैसा कि यहाँ पहले निर्दिष्ट किया गया है, स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करती है - ऐसी परिस्थितियाँ जो अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण के लिए आकर्षित होंगी।

26. जिन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण और परिणाम

उक्त अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, सीमित हैं। इस तरह के अधिग्रहण, अन्य बातों के साथ-साथ, केवल तभी किए जा सकते हैं जब मांग की अवधि के दौरान कार्यों का निर्माण किया गया हो या जहां किसी सरकार को अपनी मांग के समय संपत्ति को उसकी स्थिति में बहाल करने की लागत संबंधित समय पर संपत्ति के मूल्य को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक होगी।

27. भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए एक सिद्धांत यह होगा कि एक जानकार खरीदार इसके लिए कीमत की पेशकश करने की इच्छा रखता है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में संपत्ति का अधिग्रहण उस संपत्ति के संबंध में होगा जिसकी अवधि के दौरान मांग की गई है।

किस अवधि में भूमि का मालिक कब्जे से बाहर रहेगा। माँग की अवधि के दौरान सरकार

संपत्ति का अधिकार और पूरा आनंद। 28. यह किसी भी गुंजाइश से परे है कि भूमि की कीमत जो एक इच्छुक और सूचित खरीदार पेश करेगा, उन मामलों में अलग होगी जहां मालिक संपत्ति के कब्जे और आनंद में है और उन मामलों में जहां वह नहीं है। अधिनियम की धारा 31 के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए मानदंड तैयार करना।

स्पष्ट रूप से उक्त कारक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जिसे मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। संसद ने मुआवजे के भुगतान के प्रावधान करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा होगा कि संपत्ति का मालिक

उस अवधि के दौरान जब संपत्ति अधिग्रहण के अधीन थी, कब्जे से बाहर रहने के लिए मुआवजा प्राप्त किया है। 29. विद्वान महान्यायवादी अपनी इस दलील में सही प्रतीत होते हैं कि सहायता अनुदान का प्रावधान भारत संघ और ए. एन. आर. में डाला गया था।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संसद द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि के मालिक को दिए गए मुआवजे की राशि

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की तुलना में उक्त अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण एक उचित और वैध है। उक्त वर्गीकरण
यह बोधगम्य भिन्नता पर आधारित है और विचाराधीन विधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका तर्कसंगत संबंध है।

30. हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि एच. वी. लो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ। पश्चिम बंगाल राज्य (2016)

12 एस. सी. सी. 699 ने प्रथम दृष्टया जांच में पाया है कि छज्जू राम (उपरोक्त) के मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता है।

31. हमारे उद्देश्यों के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि 1952 के अधिनियम और भारत रक्षा अधिनियम, 1971 के तहत निर्णयों की पंक्ति, जिसमें शामिल थे

दो-चरणीय प्रक्रिया, अर्थात्, अधिग्रहण के बाद की जाने वाली माँग, उन निर्णयों में बताए गए कारणों के लिए पूरी तरह से अलग है। जैसा कि छज्जूराम (ऊपर) में कहा गया था, अधिग्रहण अधिनियम का उद्देश्य अधिग्रहण अधिनियम से पूरी तरह से अलग है। अधिग्रहण अधिनियम में, निजी संपत्ति को केवल अस्थायी रूप से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है-जब अधिग्रहण का कारण समाप्त हो जाता है, तो आम तौर पर संपत्ति को मालिक को वापस सौंप दिया जाता है। यह मामला होने के नाते, माँग क़ानूनों में

संपत्ति को वापस सौंपना नियम और संपत्ति का अधिग्रहण अपवाद है, क्योंकि संपत्ति का अधिग्रहण केवल 1952 के अधिनियम की धारा 7 और भारत रक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 30 में निर्धारित दो कारणों से किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि हरि कृष्णन खोसला में बताया गया है

(ऊपर), जो अर्जित किया जाता है वह केवल स्वामित्व के अधिकार हैं, अधिग्रहण द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा, मालिक को उस अवधि के दौरान कब्जे से बाहर रहने के लिए मुआवजा पहले ही मिल चुका है जब संपत्ति की मांग की जा रही है। इन सभी कारणों से, उपरोक्त निर्णय अधिग्रहण उपाय से पूरी तरह से अलग हैं।

इस मामले में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया अगला निर्णय प्रकाश अमीचंद शाह बनाम गुजरात राज्य (1986) सी 581 है। इस फैसले में बॉम्बे टाउन अधिनियम को चुनौती दी गई थी। नागपुर सुधार न्यास (ऊपर) के फैसले का अनुमान इस फैसले में यह कहते हुए लगाया गया था कि बॉम्बे योजना अधिनियम की योजना भूमि की योजना से पूरी तरह से अलग है।

आई. एस. आई. एन. अधिनियम। विशेष रूप से, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 34. ..... अधिनियम की धारा 53 के तहत मूल भूखंडों में निजी मालिकों के सभी अधिकार निर्धारित किए जाएंगे और उनसे मालिकों के पक्ष में कुछ परिणामी अधिकार उत्पन्न होंगे। यदि योजना में, उन्हें पुनर्गठित या अंतिम भूखंड आवंटित किए जाते हैं, तो वे अंतिम योजना में नगर योजना अधिकारी द्वारा तय किए गए अधिकारों के अधीन ऐसे अंतिम भूखंडों के मालिक बन जाते हैं। कुछ मामलों में मालिक का मूल भूखंड पूरी तरह से स्थानीय को आवंटित किया जा सकता है।

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्राधिकरण। ऐसे निजी मालिक को किसी अन्य स्थान पर मुआवजे या पुनर्गठित भूखंड का भुगतान किया जा सकता है। यह छोटा या बड़ा भूखंड हो सकता है। यह हो सकता है कि कुछ मामलों में

अंतिम भूखंड आवंटित करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। अधिनियम की धारा 67 से 71 स्थानीय प्राधिकरण या मूल भूखंडों के मालिकों को धन के भुगतान के संबंध में कुछ वित्तीय समायोजन प्रदान करती है। अधिनियम के तहत किया गया विकास और योजना मुख्य रूप से जनता के लाभ के लिए है। स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। स्थानीय प्राधिकरण को विकास के खर्च का एक हिस्सा वहन करना पड़ता है। यह एक मायने में एक पैकेज सौदा है। योजना से संबंधित कार्यवाहियां भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण कार्यवाहियों की तरह नहीं हैं। न ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान नागपुर सुधार न्यास अधिनियम, 1936 के मामले में संशोधनों के बिना या उनके साथ लागू किए गए हैं। हम नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मामले [(1973) 1 एस. सी. सी. 500 में निर्णय को नहीं समझते हैंः ए. आई. आर 1973 एस. सी 689: (1973) 3 एस. सी. आर. 39] आम तौर पर यह निर्धारित करते हुए कि जहां भी सरकार द्वारा भूमि ली जाती है

एक अलग कानून के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 केवल और यदि भूमि अधिग्रहण के तहत देय मुआवजे के बीच कोई अंतर है

अधिनियम, 1894 और कानून के तहत देय क्षतिपूर्ति कानून के तहत अधिग्रहण भेदभावपूर्ण होगा। यह मामला वर्तमान मामले से अलग है। केरल राज्य में बनाम। टी. एम. पीटर [(1980) 3 एससीसी 554: AIR 1980 SC 1438:

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(1980) 3 एस. सी. आर. 290] कोचीन नगर योजना अधिनियम की धारा 34, जो विचार के लिए आई थी, नागपुर सुधार न्यास अधिनियम, 1936 के प्रावधान के समान ही थी और इसी कारण से न्यायालय ने नागपुर में निर्णय का पालन किया।

सुधार न्यास मामला [(1973) 1 एस. सी. सी. 500: ए. आई. आर 1973 एस. सी 689: (1973) 3 एससीआर 39]। लेकिन उस फैसले में ही अदालत ने कहा कि

पीपी में। 302 और 303 इस प्रकारः (एस. सी. सी पी. 564, पैरा 21)

" हमारा मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मुआवजे की दर भिन्न नहीं हो सकती है या सभी मामलों में समान होनी चाहिए।

हमें इस प्रश्न की आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह यहाँ उत्पन्न नहीं होता है, हालाँकि हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि दी गई परिस्थितियों में मुआवजे के पैमाने में भी अंतर है।

आसानी से अनुच्छेद 14 का पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है।

यहाँ परिस्थितियाँ मौजूद हैं और न ही दबाव डाला गया है।

33. यह निर्णय फिर से इस मायने में अलग है कि बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट के संबंध में यह पाया गया था कि जिस व्यक्ति की भूमि जब्त की गई थी, उसे एक पैकेज सौदा मिलता है जिसमें उसे अंतिम नगर योजना योजना में अन्य भूमि दी जा सकती है, इसके अलावा जो देय है। हालाँकि, यह टिप्पणी करने योग्य है कि केरल बनाम टी. एम. पीटर (1980) 3 एस. सी. सी. 554, जिस पर भरोसा किया गया था।

इस मामले में, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का स्पष्ट रूप से पालन किया गया

ए), धारणः

" 20. क्या मुआवजे के विभिन्न पैमाने का भुगतान करना तर्कसंगत है, जैसा कि बताया गया है।

सीकरी, सी. जे., द्वारा नागपुर सुधार न्यास मामले में [नागपुर सुधार न्यास बनाम। विठ्ठल राव, (1973) 1 एस. सी. सी. 500: ए. आई. आर 1973 एस. सी 689: (1973) 3 एस. सी. आर. 39], इस बात पर निर्भर करता है कि आप आवास या अस्पताल, सिंचाई योजना या शहर सुधार, स्कूल भवन या पुलिस स्टेशन के लिए अधिग्रहण करते हैं या नहीं? देय मुआवजे की राशि का इस अंतर पर कोई असर नहीं है, हालांकि यह कल्पना की जा सकती है कि मुआवजे के उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण मौजूद हो सकता है और ऐसे मामलों में क़ानून अच्छा हो सकता है। हम समझ नहीं पाते हैं

नगर नियोजन अधिनियम बनाम भूमि अधिग्रहण अधिनियम में कोई वैध भेदभाव जो इनकार के मामले में वर्गीकरण की गारंटी देता है।

सोलेटियम।

21. हम अन्य मामलों में अधिनियम को बरकरार रखते हैं, लेकिन तब नहीं जब यह एक अप्रासंगिक मानदंड के आधार पर दो मालिकों के बीच अभद्र व्यवहार करता है। अर्थात्, अधिग्रहण एक सुधार योजना के लिए है।

एस. सी. आर. नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह समझने के लिए कि मुआवजे की दर नहीं हो सकती है अलग-अलग या सभी मामलों में समान होना चाहिए। हमें इस प्रश्न की आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह यहाँ उत्पन्न नहीं होता है, हालाँकि हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि दी गई परिस्थितियों में मुआवजे के पैमाने में भी भेदभाव अनुच्छेद 14 के अनुरूप हो सकता है। ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ मौजूद नहीं है और न ही दबाव डाला गया है। वास्तव में, राज्य ने भेदभाव के इस पहलू की ताकत को महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय और हमारे समक्ष, शत्रुतापूर्ण भेदभाव को मिटाने के लिए 15 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान करने की पेशकश की।

22. मूल सवाल अब उठता है। अगर हम धारा 34 में भेदभाव की रूपरेखा को भी पढ़ते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्लास्टिक सर्जरी है।

क्या पूरी धारा 34 को समाप्त करना है या कई भागों को रद्द करना है? हमारी राय में, इस धारा को निरस्त करना, जिसे उच्च न्यायालय ने चुना है, अंतिम कदम होना चाहिए। न्यायालय अपनी रिट शक्ति का उपयोग एक रचनात्मक डिजाइन, एक सकारात्मक झुकाव और एक स्थायी झुकाव के साथ करता है। यहां तक कि जब अविभाज्यता की मजबूरियों से, एक विनाशकारी स्ट्रोक आवश्यक हो जाता है, तो कोर्ट एक बुद्धिमान नियंत्रण द्वारा चोट को कम करता है। कानून जीवित रहता है और "ऑपरेशन पुल डाउन" डी मोड है। इस दृष्टिकोण से देखने पर, जहाँ तक हम देख सकते हैं, अधिनियम की धारा 34 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 और मुआवजे की मात्रा के बीच एकमात्र भेदभावपूर्ण कारक प्रावधान के कारण पूर्व मामले में मुआवजे का भुगतान न करना है। धारा 34 (1) में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार, समानता के गुण को प्राप्त करने और असमानता के दोष को समाप्त करने के लिए नगर नियोजन अधिनियम की धारा 34 (1) से भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 को समाप्त करने की आवश्यकता है। पूरी धारा 34 (1) को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हम भेदभाव को बाहर कर देते हैं और,

इसलिए, अधिनियम की धारा 34 (1) में शून्य भाग, समानता बहाल की जाती है। मालिक तब समान मुआवजे का हकदार होगा, जिसमें शामिल हैं - कि वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत पात्र हो सकता है। अनुच्छेद 13 द्वारा जिसे अमान्य कर दिया गया है वह केवल अनुच्छेद 14 के "उल्लंघन की सीमा तक" है। अदालत का लैंसेट अपमानजनक शब्दों को हटा सकता है और शेष प्रावधान को संवैधानिक स्वास्थ्य में बहाल कर सकता है।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

23. हम मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण की धारा 25 का अपवर्जन अधिनियम की धारा 34 से अधिनियम असंवैधानिक है लेकिन यह अलग करने योग्य है और हम इसे अलग करते हैं। आवश्यक परिणाम यह है कि धारा 34 (1) को "और धारा 25" शब्दों को छोड़कर पढ़ा जाएगा। फिर आगे क्या होता है? धारा 32 राज्य को भूमि के तहत कार्य करने के लिए बाध्य करती है।

अधिग्रहण अधिनियम लेकिन हमने उस हिस्से को रद्द कर दिया है जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 शामिल नहीं है और इसलिए, "संशोधन" में अब धारा 25 शामिल नहीं है। यह नगर योजना अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिग्रहण पर लागू होता रहता है। धारा 34 (2) प्रदान करती है

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 (1) के समान मुआवजे के लिए और हमने अभी जो निर्णय लिया है उसके आलोक में धारा 25 (2) भी लागू होगी और "उपरोक्त प्रावधान के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के अलावा, अदालत प्रत्येक मामले में ऐसे बाजार मूल्य पर पंद्रह प्रतिशत की राशि का फैसला करेगी।

अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति "।

34. एक और निर्णय को संदर्भित करने की आवश्यकता है, अर्थात्, गिरनार ट्रेडर्स (3) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 1, जिस पर श्री दीवान ने यह तर्क देने के लिए भरोसा किया था कि, महाराष्ट्र के अध्याय VII की तरह

क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम, राष्ट्रीय संविधान में संशोधन

राजमार्ग अधिनियम एक पूर्ण स्व-निहित संहिता है और इसलिए इसका पालन अपनी शर्तों पर किया जाना चाहिए। इस निर्णय में इस बात पर विचार किया गया कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 1984 के संशोधन द्वारा शुरू की गई धारा 11-ए को महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहणों पर लागू कहा जा सकता है। इस सवाल का जवाब यह था कि धारा 11-ए को इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम को निगमन के माध्यम से कानून के रूप में संदर्भित किया था। और संदर्भ के माध्यम से कानून नहीं। वर्तमान मामले में, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जे के आधार पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले में विवाद में, किसी भी तरह से, यह शामिल नहीं है कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम निगमन या संदर्भ के माध्यम से लागू होता है। इसलिए यह मामला भी पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा, इस निर्णय पर आधारित 'स्व-निहित संहिता' तर्क का उपयोग भूमि मालिकों को उपलब्ध लाभों से इनकार करने के लिए एक भेदभावपूर्ण उपकरण के रूप में केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि भूमि को एक अलग अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया जाना है, जैसा कि नागपुर सुधार न्यास (उपरोक्त) में माना गया है।

35. भारत संघ और एन. एच. ए. आई. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने कहा है कि धारा [2019] 13 एस. सी. आर. के तहत।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कुछ मामलों में दिया गया है, इसलिए अधिनियमों की योजना अलग होने के कारण, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मुआवजे और ब्याज का न देना उचित है। अन्यथा भी, व्यक्तियों को धारा 3 जी (2) के तहत मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। बेशक, लेकिन इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि सहजता का अधिकार या उपयोगकर्ता का अधिकार प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 3 (बी), 9 और 31 (1) का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि भूमि के तहत भी आसान अधिकारों की भरपाई की जाती है।

अधिग्रहण अधिनियम और वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (2) के तहत देय 10 प्रतिशत की राशि वास्तव में एक सीमा की प्रकृति में है जिसके बाद कोई और मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। अन्यथा भी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, धारा 3 जी (2) के तहत मुआवजा देने से भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत देय ब्याज और मुआवजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत।

36. धारा 3 जी (2) यह स्पष्ट करती है कि उपयोगकर्ता के अधिकार और सुगमता की प्रकृति में अधिकार मूल्यवान संपत्ति अधिकार, क्षतिपूर्ति हैं।

इसके लिए भुगतान किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इस अंक पर मालिक को कोई दोहरा भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि मालिक और/या किसी अन्य व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि सहजता की प्रकृति का अधिकार भी छीन लिया गया है। जाहिर है, उपयोगकर्ता का स्वामित्व के अधिग्रहण में शामिल होने का अधिकार, मालिक को इस अंक पर दोगुना लाभ नहीं मिल सकता है। द. इसलिए, उपयोगकर्ता का अधिकार केवल मालिक के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए संदर्भित है, जिनके पास किरायेदारी अधिकार हो सकते हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि पर लाइसेंस के अन्य अधिकार हो सकते हैं।

37. जहाँ तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत आसान अधिकारों का संबंध है, तीन धाराएँ प्रासंगिक हैं और इन्हें उद्धृत करने की आवश्यकता हैः

" 3. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि कुछ अप्रिय न हो विषय या संदर्भ में,

भारत और ए. एन. आर. का XXX XXX संघ। वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख) "इच्छुक व्यक्ति" अभिव्यक्ति में सभी व्यक्ति शामिल हैं।

इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के कारण किए जाने वाले मुआवजे में ब्याज का दावा करना; और एक व्यक्ति को भूमि में रुचि रखने वाला माना जाएगा यदि वह प्रभावित करने वाले आसान बनाने में रुचि रखता है।

भूमि;

XXX XXX

9. इच्छुक व्यक्तियों को सूचित करें। - (1) कलेक्टर तब ली जाने वाली भूमि पर या उसके आस-पास सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना देगा, जिसमें कहा जाएगा कि सरकार भूमि पर कब्जा करने का इरादा रखती है और जो सभी के लिए मुआवजे का दावा करती है।

ऐसी भूमि में उसके हित बनाए जा सकते हैं।

(2) इस तरह की सूचना में इस तरह से आवश्यक भूमि का विवरण होगा, और भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को उपस्थित होना होगा।

व्यक्तिगत रूप से या किसी समय और स्थान पर कलेक्टर के सामने एजेंट द्वारा उसमें उल्लिखित (ऐसा समय जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के पंद्रह दिनों से पहले का न हो) और भूमि में उनके संबंधित हितों की प्रकृति और राशि और

ऐसे हितों के लिए मुआवजे के उनके दावों का विवरण, और धारा के तहत किए गए मापों पर उनकी आपत्तियां (यदि कोई हों)

8. कलेक्टर को किसी भी मामले में इस तरह के बयान को लिखित रूप में देने और पक्ष या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता हो सकती है।

(3) कलेक्टर ऐसी भूमि के अधिभोगकर्ता (यदि कोई हो) पर और ऐसे सभी व्यक्तियों पर भी इसी प्रभाव का नोटिस देगा जो ज्ञात हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे इसमें रुचि रखते हैं या उनके लिए कार्य करने के हकदार हैं।

लो

ग

जिस राजस्व जिले में भूमि स्थित है, उसके भीतर रहने वाले या उनकी ओर से सेवा प्राप्त करने के लिए अधिकृत एजेंट हैं।

(4) यदि कोई ऐसा इच्छुक व्यक्ति कहीं और रहता है, और

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 28 और 29 के तहत पंजीकृत और ऐसे किसी भी एजेंट को उनके अंतिम ज्ञात निवास, पते या व्यवसाय के स्थान पर संबोधित पत्र में डाक द्वारा सूचना नहीं भेजी जाएगी। XXX XXX

31. अदालत में मुआवजे या उसी की जमा राशि का भुगतान। — (1) धारा 11 के तहत पुरस्कार देने पर, कलेक्टर [2019] 13 एस. सी. आर. के लिए निविदा जारी करेगा।

व्यक्तियों को उनके द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान

इच्छुक व्यक्ति जो पुरस्कार के अनुसार इसके हकदार हैं, और वे इसका भुगतान करेंगे।

उन्हें जब तक कि किसी एक या अधिक द्वारा रोका न जाए

अगले उपखंड में उल्लिखित आकस्मिकताएँ।

XXX XXX "

इन धाराओं को पढ़ने से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो भूमि को प्रभावित करने वाली भूमि में रुचि रखता है, वह इसके लिए मुआवजे का दावा कर सकता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान। भूमि अधिग्रहण अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम दोनों के तहत, ऐसे दावों को कानून के अनुसार साबित करना पड़ता है, अंतर यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत वास्तविक देय होते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत की एक निश्चित राशि देय होती है। इसलिए यह कहना पूरी तरह से गलत है। कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मालिक को अतिरिक्त राशि देय है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत देय नहीं है। इसके अलावा, दोनों अधिनियम उन व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान पर विचार करते हैं जिनके

अधिग्रहण से आसान अधिकार प्रभावित हुए हैं। किसी भी स्थिति में, यह विवाद संभवतः समाधान का भुगतान न करने का जवाब नहीं दे सकता है और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत ब्याज, जिस पर इस फैसले में विस्तार से विचार किया गया है।

38. यह ध्यान देने योग्य है कि अधिग्रहणों में भी जो होता है

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और 1952 अधिनियम के तहत, 2015 2013 के नए अधिग्रहण अधिनियम के तहत दोनों अधिनियमों के तहत आने वाले मामलों में मुआवजे और ब्याज का भुगतान किया जाता है। वास्तव में, 1 से प्रभाव के साथ

जनवरी, 2015 में 2013 के अधिनियम में संशोधन करते हुए 2014 का संशोधन अध्यादेश संख्या 9 जारी किया गया था। उक्त संशोधन अध्यादेश की धारा 10 निम्नलिखित रूप में राज्यः

" 10. मूल अधिनियम की धारा 105 में,

(i) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

अर्थात्ः

" (3) पहली अनुसूची के अनुसार मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान,

भारत और ए. एन. आर. के भूमि संघ से संबंधित अधिनियमों पर तीसरी अनुसूची के अनुसार दूसरी अनुसूची और बुनियादी सुविधाओं के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास लागू होगा।

वी. तारसेम सिंह और हमारा।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

से प्रभावी चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिग्रहण

1 सेंट जनवरी, 2015 "। ;

((ii) उप-धारा (4) को हटा दिया जाएगा।

यह अध्यादेश समाप्त होने पर ही अगस्त, 2015 की अधिसूचना 2013 अधिनियम की धारा 113 के तहत बनाई गई थी।

अधिसूचना महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार बताती हैः

" ग्रामीण विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2015

एस. ओ. 2368 (ई)। — जबकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) (जिसे इसके बाद आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) 1 जनवरी, 2014 से लागू हुआ। और जबकि, आर. एफ. सी. एल. टी. ए. आर. आर. अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (3) में निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रावधान किया गया है -

मुआवजे के निर्धारण से संबंधित अधिनियम,

भूमि के मामलों में लागू पुनर्वास और पुनर्वास

चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत अधिग्रहण

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के लिए;

और जबकि, उप-धारा (3) के तहत परिकल्पित अधिसूचना

आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम की धारा 105 जारी नहीं की गई थी, और

आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 9) 31 दिसंबर, 2014 को जारी किया गया था, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ इसमें संशोधन किया गया था।

आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम की धारा 105 के प्रावधानों का विस्तार करना

मुआवजे के निर्धारण से संबंधित अधिनियम और

भूमि अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास और पुनर्वास

चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम;

आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4) को आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) अध्यादेश के प्रावधानों को निरंतरता देने के लिए 3 अप्रैल, 2015 को लागू किया गया था।

2014 ;

और जबकि, आरएफसीटीएलएआरआर (संशोधन) दूसरा

अध्यादेश, 2015 (2015 का 5) 30 मई, 2015 को जारी किया गया था।

आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. के प्रावधानों को निरंतरता देना

(संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4); 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और जबकि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. से संबंधित प्रतिस्थापन विधेयक

(संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4) को जांच और रिपोर्ट के लिए सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था और यह संयुक्त समिति के पास लंबित है।

जबकि, के अनुच्छेद 123 के प्रावधानों के अनुसार

संविधान, आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का 5) 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो जाएगा और इस तरह भूमि मालिकों को नुकसानदेह स्थिति में डाल देगा, जिसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए मुआवजे के लाभों से इनकार किया जाएगा और

आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट 13 अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों का पुनर्वास और पुनर्वास, जैसा कि उक्त अध्यादेश के तहत भूमि मालिकों को दिया गया है।

और जबकि, केंद्र सरकार आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम के तहत भूमि मालिकों को उपलब्ध लाभों का विस्तार उसी तरह के भूमि मालिकों को करना आवश्यक समझती है, जिनकी भूमि चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट 13 अधिनियमों के तहत अधिग्रहित की गई है; और तदनुसार केंद्र सरकार ने उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लाभप्रद लाभों का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

भूमि मालिकों को लाभ और समान रूप से आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों को लागू करें, जो मुआवजे और पुनर्वास और पुनर्वास के निर्धारण से संबंधित हैं, जैसा कि भूमि मालिकों के हित में उक्त अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों पर लागू किया गया था।

इसलिए अब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 113 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अधिनियम, 2013 (2013 का 30), केंद्र सरकार एतद्वारा उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:

1. (1) इस आदेश को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विकास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार कहा जा सकता है। पुनर्वास (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2015।

(2) यह 1 सितंबर, 2015 से लागू होगा।

2. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधान भारत और ए. एन. आर. संघ की पहली अनुसूची, पुनर्वास और पुनर्वास के अनुसार मुआवजे के निर्धारण से संबंधित अधिनियम, 2013।

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दूसरी अनुसूची और बुनियादी ढांचे के अनुसार तीसरी अनुसूची के अनुसार सुविधाएं सभी पर लागू होंगी।

में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण के मामले उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची।

[एफ. नं. 13011/2014-एल. आर. डी.]

के. पी. कृष्णन, एडिशनल। सिकरी "।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अध्यादेश के साथ-साथ अधिसूचना में

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (उपरोक्त) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत होने वाले अधिग्रहणों पर लागू होगा और यह कि 2013 के अधिनियम के तहत उन व्यक्तियों को राहत राशि और ब्याज देय होगा जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्गों के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई है, जैसा कि उन्हें समान रूप से रखा गया है। वे भूस्वामी जिनकी भूमि अन्य जनता के लिए अधिग्रहित की गई है

2013 अधिनियम के तहत उद्देश्य। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि सरकार का भी विचार है कि 2013 के अधिनियम के तहत आने वाले भूमि मालिकों और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत आने वाले भूमि मालिकों के बीच भेदभाव करना संभव नहीं है, जब किसी भी अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान करने की बात आती है। 1952 के अधिनियम के साथ-साथ भारत रक्षा अधिनियम, 1971 के तहत दिए गए निर्णय,

इसलिए, इस विकास के आलोक में फिर से देखने की आवश्यकता हो सकती है। 1 किसी भी मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, छज्जू राम का मामला (ऊपर), एक बड़ी पीठ को भेजा गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं है।

39. हमें एक विद्वान एकल के निर्णय के लिए भी संदर्भित किया गया था

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने ललिता बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 2003 कर्नाटक 165 के रूप में रिपोर्ट की, साथ ही डिवीजन बेंच के फैसले के रूप में भी रिपोर्ट की।

1 भारत रक्षा अधिनियम, 1971 एक अस्थायी कानून था जो केवल आपातकाल की घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान और उसके बाद छह महीने की अवधि के लिए लागू रहा-अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार। चूंकि यह अधिनियम तब से समाप्त हो गया है, इसलिए इसे 2013 अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टी. चक्रपाणि बनाम भारत संघ मामले में मद्रास उच्च न्यायालय, दोनों ने अनुरोध अधिनियम के मामलों को अलग किया और उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नागपुर सुधार न्यास (उपरोक्त) पर भरोसा किया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ये दोनों निर्णय भी हैं -

40. उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा एक और तर्क दिया गया था, जो यह है कि इनमें कुछ भी नहीं बचा है। भारत संघ बनाम में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए। टी. चक्रपाणि-मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय इस न्यायालय के समक्ष आया है। यह आदेश हमारे द्वारा पूरी तरह से उद्धृत किया गया हैः

" सुनवाई की पहले की तारीख को भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार द्वारा दिए गए इस बयान को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत किए गए तत्काल अधिग्रहण के लिए उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के संदर्भ में राहत दी जाएगी, वर्तमान अपीलों और विशेष अनुमति याचिका में भी कोई मौजूदा मुद्दा नहीं बचा है। द.

हमें सुनीता मेहरा बनाम में एक आदेश के लिए भी संदर्भित किया गया था। भारत संघ (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1128, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः " 6. विद्वान सॉलिसिटर द्वारा हमारे सामने एकमात्र मुद्दा उत्तेजित किया गया

सामान्य बात यह है कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के पैराग्राफ 23 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि-मालिक "अब से" प्रावधानों द्वारा परिकल्पित मुआवजे और ब्याज के हकदार होंगे।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 और 28। हालाँकि, विवादित निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत किए गए सभी अधिग्रहणों के संबंध में, भूमि अधिग्रहण की धारा 23 (2) और 28 में निहित शर्तों के समान मुआवजे और ब्याज।

अधिनियम, 1894 का भुगतान करना होगा।

7. विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि एक निर्णय में स्पष्ट असंगति, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश का अर्थ यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ब्याज और ऋण सहायता के मुद्दे को बिना किसी प्रतिबंध या समय के संदर्भ के फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भारत और ए. एन. आर. का संघ सीखा। वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सॉलिसिटर जनरल ने विशेष रूप से कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश को किसी अन्य तरीके से समझने से न केवल सरकारी खजाने पर गंभीर बोझ पड़ेगा, बल्कि यह उपेक्षा करने के बराबर भी होगा न्यायालय से संपर्क करने में भूमि-स्वामी की ओर से हुई देरी और सामूहिक रूप से बाढ़ के द्वार खुल सकते हैं।

मुद्दे पर मुकदमा।

8. हमने अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचार किया है। गुरप्रीत में सिंह बनाम। भारत संघ, (2006) 8 एस. सी. सी. 457, इस न्यायालय ने, हालांकि एक अलग संदर्भ में, के निर्णय के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया था

सुंदर बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ, (2001) 7 एस. सी. सी. 211 और केवल लंबित कार्यवाहियों के संबंध में मुआवजे पर ब्याज का लाभ प्रदान किया था। हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में भी इसी तरह का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि सॉलेटियम का अधिनिर्णय और सॉलेटियम पर ब्याज केवल गोल्डन आयरन एंड स्टील फोर्जिन्स बनाम में उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख पर लंबित कार्यवाही के लिए प्रभावी बनाया जाना चाहिए। भारत संघ अर्थात 28.03.2008। समाप्त मामलों को नहीं खोला जाना चाहिए। जहां तक भावी कार्यवाहियों का संबंध है, यह स्थिति निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत आएगी -

भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (आई. डी. 1 पर लागू), जो अधिनियम 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना/आदेश के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहणों पर लागू किया गया है। ”

41. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने उपरोक्त दो आदेशों में इन मामलों में उठाए गए मुद्दे को स्वीकार कर लिया है। यह श्री दीवान की याचिका को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि विवादित निर्णयों को इस आधार पर दरकिनार कर दिया जाना चाहिए कि जब मध्यस्थता पुरस्कारों में मुआवजे या ब्याज का प्रावधान नहीं था, तो भूमि मालिकों द्वारा इस संबंध में कोई धारा 34 याचिका दायर नहीं की गई थी, हमारे समक्ष विवादित डिवीजन बेंच के निर्णयों में मुआवजे और/या ब्याज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आम तौर पर, हम इस याचिका को स्वीकार कर लेते, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार का स्वयं यह विचार है कि 1997 और 2015 के बीच उत्पन्न होने वाले मामलों में भी राहत और ब्याज दिया जाना चाहिए, न्याय के हित में हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी विवेकाधीन अधिकारिता को देखते हुए ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान

धारा 23 (1ए) और (2) में निहित ऋण और ब्याज और धारा 28 परंतुक के संदर्भ में देय ब्याज से संबंधित अधिग्रहण [2019] 13 एस. सी. आर. पर लागू होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत। नतीजतन, 3 जे का प्रावधान इस हद तक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। तदनुसार, अपील एल. पी. (सी) सं. 9599/2019 खारिज कर दी जाती है।42. मामले में व्यक्तिगत अपीलों पर आते हुए, श्री मुकुल रोहतगी ने अनिवार्य रूप से 11 आधारों पर ध्यान दिया, जो उनके अनुसार, टी के ध्यान की आवश्यकता है। हम इन आधारों में से प्रत्येक से निपटेंगे।

नीचेः

नं. 10210/2019 इन मामलों में, इस आधार को कभी-कभी धारा 34 के स्तर पर, कभी-कभी धारा 37 के स्तर पर और कभी-कभी दोनों स्तरों पर उठाया और तर्क दिया गया है। यह साबित करने का भार कि विचाराधीन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के 50 मीटर के भीतर है, और इसमें वाणिज्यिक क्षमता नहीं है, एनएचएआई पर है, लेकिन तथ्यों के आधार पर, इसे कभी भी जारी नहीं किया गया है। इन सभी अपीलों में यह मामला है,

वे बर्खास्त हो जाते हैं।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एसएलपी (सी) सं. 21688/2019; एसएलपी (सी) सं. 15471/2019; एसएलपी (सी) सं. 15450/2019; एसएलपी (सी) सं. 21675/2019; एसएलपी (सी) सं. 21683/2019

इन मामलों में, धारा 34 याचिका में इस आधार को नहीं लिया गया है या बहस नहीं की गई है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। ग्राउंड 2: कि मध्यस्थ ने पांच साल तक मौके का दौरा किया

धारा 3ए अधिसूचना जारी होने के बाद, जिसके आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया गया था। एसएलपी (सी) सं. 15478/2019; एसएलपी (सी) सं. 15482/2019; एसएलपी (सी) सं. 15472/2019; एसएलपी (सी) सं. 15470/2019; एसएलपी (सी) सं. 15442-15443/2019; एसएलपी (सी) सं. 15488/2019; एसएलपी (सी) सं. 15444-15445/2019; एसएलपी (सी) सं. 15487/2019; एसएलपी (सी) सं. 15479/2019; एसएलपी (सी) सं. 15477/2019; एसएलपी (सी) संख्या 15485/2019; एसएलपी (सी) सं. 15474/2019; एसएलपी (सी) सं. 15466/2019; एसएलपी (सी) सं. 15446/2019; एसएलपी (सी) सं. 15447/2019; एसएलपी (सी) सं. 21688/2019; एसएलपी (सी) सं. 15471/2019; एसएलपी (सी) सं. 15448/2019; एसएलपी (सी) सं. 15450/2019; एसएलपी (सी) संख्या 21690/2019; एसएलपी (सी) सं. 15486/2019; एसएलपी (सी) सं. 14491/2019; एसएलपी (सी) सं. 21662/2019; एसएलपी (सी) सं. 21696/2019; एसएलपी (सी) सं. 21657/2019; एसएलपी (सी) सं. 21664/2019; एसएलपी (सी) सं. 21666/2019; एसएलपी (सी) सं. 21671/2019; एसएलपी (सी) संख्या 21682/2019; एसएलपी (सी) सं. 21675/2019; एसएलपी (सी) सं. 21670/2019; एसएलपी (सी) सं. 21673/2019; एसएलपी (सी) सं. 21663/2019; एसएलपी (सी) सं. 21695/2019; एसएलपी (सी) सं. 21691/2019; एसएलपी (सी) सं. 21692/2019; एसएलपी (सी) सं. 21693/2019; एसएलपी (सी) संख्या 10210/2019

ग्राउंड 3: मुआवजे को बढ़ाने के लिए अन्य जिलों के दूरदराज के गांवों के उदाहरणों पर भरोसा किया गया था। एसएलपी (सी) सं. 15478/2019; एसएलपी (सी) सं. 15482/2019; एसएलपी (सी) सं. 15472/2019; एसएलपी (सी) सं. 15470/2019; एसएलपी (सी) सं. 15442-15443/2019; एसएलपी (सी) सं. 15488/2019; एस. एल. पी. (सी) नं.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) No.15471/2019; एसएलपी (सी) सं. 15448/2019; एसएलपी (सी) सं. 15450/2019; एसएलपी (सी) सं. 21690/2019; एसएलपी (सी) संख्या 15486/2019; एसएलपी (सी) सं. 14491/2019; एसएलपी (सी) सं. 21662/2019; एसएलपी (सी) सं. 21696/2019; एसएलपी (सी) सं. 21657/2019; एसएलपी (सी) सं. 21664/2019; एसएलपी (सी) सं. 21666/2019; एसएलपी (सी) सं. 21671/2019; एसएलपी (सी) सं. 21682/2019; एसएलपी (सी) संख्या 21675/2019; एसएलपी (सी) सं. 21670/2019; एसएलपी (सी) सं. 21673/2019; एसएलपी (सी) सं. 21663/2019; एसएलपी (सी) सं. 21695/2019; एसएलपी (सी) सं. 21691/2019; एसएलपी (सी) सं. 21692/2019; एसएलपी (सी) सं. 21693/2019; एसएलपी (सी) सं. 9602/2019; एसएलपी (सी) संख्या 9600/2019; एसएलपी (सी) सं. 21687/2019; एसएलपी (सी) सं. 21683/2019; एसएलपी (सी) सं. 21689/2019; एसएलपी (सी) सं. 9604/2019; एसएलपी (सी) सं. 10210/2019 इन मामलों में, इस आधार को नहीं लिया गया है और धारा 34 याचिकाओं में से किसी में भी तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

ग्राउंड 4: कि मध्यस्थ वर्ष की कलेक्टर दर 2011-13/2012-13 पर निर्भर था। एसएलपी (सी) सं. 15478/2019; एसएलपी (सी) सं. 15472/2019; एसएलपी (सी) सं. 15470/2019; एसएलपी (सी) सं. 15488/2019; एसएलपी (सी) सं. 15444-15445/2019; एसएलपी (सी) सं. 15487/2019; एसएलपी (सी) सं. 15479/2019; एसएलपी (सी) सं. 15477/2019; एसएलपी (सी) संख्या 15474/2019; एसएलपी (सी) सं. 15466/2019; एसएलपी (सी) सं. 15446/2019; एसएलपी (सी) सं. 15447/2019; एसएलपी (सी) सं. 15450/2019; एसएलपी (सी) सं. 21688/2019; एसएलपी (सी) सं. 15486/2019; एसएलपी (सी) सं. 21696/2019; एसएलपी (सी) सं. 21664/2019; एसएलपी (सी) संख्या 21671/2019; एसएलपी (सी) सं. 21682/2019; एसएलपी (सी) सं. 21675/2019; एसएलपी (सी) सं. 21670/2019; एसएलपी (सी) सं. 21695/2019; एसएलपी (सी) सं. 21693/2019; एसएलपी (सी) सं. 9604/2019; एसएलपी (सी) सं. 15485/2019;

इन मामलों में, इस आधार को नहीं लिया गया है और धारा 34 याचिकाओं में से किसी में भी तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एसएलपी (सी) सं. 15471/2019

15.02.17 , 2016 के एफ. ए. ओ. सं. 6522 में, जिसका शीर्षक 'मंगल दास बनाम। सरकार. भारत का ', जिसमें रु। 7,00,000 प्रति मरला, जिसकी गणना 2011 की संग्रह दर के आधार पर की गई थी, को उचित नहीं माना गया और इसे घटाकर रु। 4,50,000 मार्ला के अनुसार। इसलिए यह याचिका भी खारिज की जाती है। ग्राउंड 5: संरचना के नुकसान के कारण वह मुआवजा दिया गया था।

एसएलपी (सी) सं. 15470/2019; एसएलपी (सी) सं. 15444-15445/2019; एसएलपी (सी) सं. 15485/2019;

इन मामलों में, इस आधार को नहीं लिया गया है और धारा 34 याचिकाओं में से किसी में भी तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

एसएलपी (सी) सं. 15472/2019

इस मामले में, धारा 37 की अपील में यह आधार नहीं लिया गया है। इसलिए यह याचिका भी खारिज की जाती है।

एसएलपी (सी) सं. 15478/2019

इस मामले में, इस आधार को धारा 34 याचिका में लिया गया है, और उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि भूमि मालिक ने रुपये की दर से दिए गए ढांचे के नुकसान पर अपना दावा छोड़ दिया है। 50,000 मध्यस्थ द्वारा, अभिनिर्धारित किया गया कि आगे किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है इस बिंदु पर। इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, और यह अपील भी खारिज कर दी जाती है।

एसएलपी (सी) सं. 15482/2019; एसएलपी (सी) सं. 15487/2019; एसएलपी (सी) सं. 15479/2019; एसएलपी (सी) सं. 15477/2019; एसएलपी (सी) सं. 15474/2019; एसएलपी (सी) सं. 15466/2019; एसएलपी (सी) संख्या 15446/2019; एसएलपी (सी) सं. 15447/2019; एसएलपी (सी) सं. 21688/2019; एसएलपी (सी) सं. 15471/2019; एसएलपी (सी) सं. 15448/2019; एसएलपी (ग) नहीं। 15450/2019; एसएलपी (सी) सं. 21690/2019; एसएलपी (सी) सं. 15486/2019; एसएलपी (सी) सं. 21662/2019; एसएलपी (सी) संख्या 21691/2019 [2019] 13 एस. सी. आर.

इन मामलों में, हालांकि इस आधार पर धारा 34 याचिका में तर्क दिया गया है, क्योंकि यह आधार तथ्यात्मक है, कोई पेटेंट अवैधता उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

ग्राउंड 7: कि मध्यस्थता लागत प्रदान की गई थी एसएलपी (सी) सं. 15442-15443/2019; एसएलपी (सी) सं. 15487/2019; एसएलपी (सी) सं. 15477/2019; एसएलपी (सी) सं. 15474/2019; एसएलपी

(ग) नहीं। 14491/2019; एसएलपी (सी) सं. 21657/2019; एसएलपी (सी) सं. 9600/2019; एसएलपी (सी) सं. 10210/2019; एसएलपी (सी) सं. 15466/2019; एसएलपी (सी) सं. 21690/2019; एसएलपी (सी) सं. 21662/2019; एसएलपी (सी) सं. 21691/2019

इन मामलों में, इस आधार को नहीं लिया गया है और धारा 34 याचिकाओं में से किसी में भी तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

एसएलपी (सी) सं. 15479/2019; एसएलपी (सी) सं. 21682/2019; एसएलपी (सी) सं. 9602/2019; एसएलपी (सी) सं. 21687/2019; एसएलपी (सी) सं. 21683/2019; एसएलपी (सी) सं. 9604/2019; एसएलपी (सी) संख्या 15446/2019; एसएलपी (सी) सं. 15448/2019; एसएलपी (सी) सं. 15450/2019

इन मामलों में, इस आधार को नहीं लिया गया है और धारा 37 की किसी भी अपील में तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए ये याचिकाएं भी खारिज हो जाती हैं। एसएलपी (सी) सं. 15478/2019; एसएलपी (सी) सं. 15482/2019; एसएलपी

(ग) नहीं। 15470/2019; एसएलपी (सी) सं. 21675/2019; एसएलपी (सी) सं. 21673/2019; एसएलपी (सी) सं. 15485/2019; एसएलपी (सी) संख्या 15447/2019; एस. एल. पी. (सी) सं. 21692/2019 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर.

वी. तारसेम सिंह और हमारा। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इन मामलों में, इस आधार को किसी भी विशेष अनुमति याचिका में नहीं लिया गया है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। ग्राउंड 8: वह मुआवजा अधिसूचना के बाद बिक्री विलेख के आधार पर दिया गया था।

एसएलपी (सी) सं. 15470/2019; एसएलपी (सी) सं. 15444-15445/2019; एसएलपी (सी) सं. 14491/2019; एसएलपी (सी) सं. 21664/2019; एसएलपी (सी) सं. 21671/2019; एसएलपी (सी) सं. 21670/2019; एसएलपी (सी) सं. 21663/2019; एसएलपी (सी) सं. 21695/2019; एसएलपी (सी) संख्या 21693/2019; एसएलपी (सी) सं. 9602/2019; एसएलपी (सी) सं. 9600/2019; एसएलपी (सी) सं. 21687/2019; एसएलपी (सी) सं. 21683/2019; एसएलपी (सी) सं. 21689/2019; एसएलपी (सी) सं. 9604/2019; एसएलपी (सी) संख्या 21696/2019; एसएलपी (सी) सं. 21666/2019

इन मामलों में, इस आधार को नहीं लिया गया है और धारा 34 याचिकाओं में से किसी में भी तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

मैदान 9: वह मुआवजा भूमि के छोटे भूखंडों की बिक्री विलेखों के आधार पर दिया गया था।

एसएलपी (सी) सं. 15470/2019; एसएलपी (सी) सं. 21666/2019; एसएलपी (सी) सं. 21671/2019; एसएलपी (सी) सं. 21670/2019; एसएलपी (सी) सं. 21663/2019; एसएलपी (सी) सं. 9602/2019; एसएलपी (सी) संख्या 21687/2019; एसएलपी (सी) सं. 21683/2019; एसएलपी (सी) सं. 21689/2019; एसएलपी (सी) सं. 9604/2019; एसएलपी (सी) सं. 21696/2019

एसएलपी (सी) सं. 15470/2019; एसएलपी (सी) सं. 15479/2019; एसएलपी (सी) सं. 15471/2019 इन मामलों में, इस आधार को नहीं लिया गया है और धारा 34 याचिकाओं में से किसी में भी तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

एसएलपी (सी) सं. 10210/2019 इस मामले में यह आधार विशेष अनुमति याचिकाओं में नहीं लिया गया है। इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसएलपी (सी) सं. 15485/2019; एसएलपी (सी) सं. 15474/2019; एसएलपी (सी) सं. 15447/2019; एसएलपी (सी) सं. 15486/2019; एसएलपी (सी) सं. 21691/2019

इन मामलों में, हालांकि यह आधार धारा 34 याचिका में लिया गया है, कोई पेटेंट अवैधता उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

ग्राउंड 11: व्यवसाय के नुकसान के कारण वह मुआवजा दिया गया था

एसएलपी (सी) सं. 15487/2019; एसएलपी (सी) सं. 21675/2019

इन मामलों में, इस आधार को नहीं लिया गया है और धारा 34 याचिकाओं में से किसी में भी तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। एसएलपी (सी) सं. 15477/2019; एसएलपी (सी) सं. 15474/2019; एसएलपी

(ग) नहीं। 15466/2019; एसएलपी (सी) सं. 15446/2019; एसएलपी (सी) सं. 15447/2019; एसएलपी (सी) सं. 21688/2019; एसएलपी (सी) संख्या 15471/2019; एसएलपी (सी) सं. 15450/2019; एसएलपी (सी) सं. 21690/2019; एसएलपी (सी) सं. 21691/2019; एसएलपी (सी) सं. 21692/2019

इन मामलों में, हालांकि इस आधार पर धारा 34 याचिका में तर्क दिया गया है, कोई पेटेंट अवैधता उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

अपीलों का
निपटारा किया गया।

ए. के. त्रिपाठी